सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

ऊर्जा और विद्युत, उद्योग और वाणिज्य तथा शहरी विकास क्लस्टरों की अनुपालन लेखापरीक्षा

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

हरियाणा सरकार

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 7

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

ऊर्जा और विद्युत, उद्योग और वाणिज्य तथा
शहरी विकास क्लस्टरों की अनुपालन लेखापरीक्षा

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 7

विषय सूची

	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
संक्षिप्त अवलोकन		vii-ix
अध्याय 1		
प्रस्तावना		
प्रस्तावना	1.1	1-2
बजट प्रोफाइल	1.2	2-3
राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग	1.3	3
लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन	1.4	3-4
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा सरकार के लेखापरीक्षा को उत्तर	1.5	4
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की संवेदनशीलता	1.6	4-5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन	1.7	5-8
अध्याय 2		
ऊर्जा और विद्युत		
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का कार्यान्वयन	2.1	9-21
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटर की अपर्याप्तता	2.2	21-23
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड 220 किलोवोल्ट सब-स्टेशन के निर्माण पर निष्फल व्यय	2.3	23-25
अध्याय 3		
उद्योग और वाणिज्य		
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड		
विस्तार फीस में अनुचित कमी	3.1	27-29
जुर्माने का उद्ग्रहण न करना	3.2	29-31
अग्रिम आयकर के कम जमा होने के कारण परिहार्य ब्याज भार	3.3	31-33

	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय 4		
शहरी विकास		
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग संशोधित दरों पर लाइसेंस फीस की अंतरीय राशि की वसूली न होना	4.1	35-36
बैंक गारंटियों का पुनर्वैधीकरण न करने से राज्य के राजकोष को ₹ 9.84 करोड़ की हानि हुई	4.2	36-39
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, वन विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा तथा नगर निगम, फरीदाबाद अधिसूचित भूमि में बहुमंजिला इमारत का अवैध निर्माण और फलस्वरूप ₹ 182.46 करोड़ मूल्य के वाणिज्यिक कार्यालय स्थलों की अवैध बिक्री	4.3	39-47

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1	एक क्लस्टर के भीतर विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के साथ क्लस्टरों का विवरण	1.1	49-52
2	तीन क्लस्टरों में विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों का विवरण दर्शाने वाली विवरणी	1.1	53
3	बकाया अनुच्छेदों की श्रेणीवार राशि के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	1.6	54
4	31 मार्च 2022 तक लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति (कोपू) में चर्चा किए जाने हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 2018-19 और अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2019-20 के बकाया अनुच्छेदों का विवरण	1.7.1	55
5	उन अनुच्छेदों का विवरण जिनमें 31 मार्च 2021 तक प्रशासनिक विभागों द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है	1.7.2	56-57
6	31 मार्च 2022 तक सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति और कोपू की सिफारिशों के विवरण	1.7.3	58
7	पिनेकल टावर में निर्मित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल और कीमत	4.3 (ii)	59
8	नगर निगम, फरीदाबाद के अभिलेख पर हस्तांतरण विलेख का विवरण	4.3 (iii)	60
9	मैसर्ज गोदावरी शिल्प कला केंद्र प्राइवेट लिमिटेड की भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति के अंतर्गत पिनेकल टॉवर में निष्पादित हस्तांतरण विलेख की सूची	4.3 (v)	61-62
10	अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ-साथ परियोजना क्षेत्र और पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम अधिसूचना में खसरा की तुलना	4.3 (vii)	63

प्राक्कथन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में हरियाणा सरकार के ऊर्जा और विद्युत, उद्योग और वाणिज्य तथा शहरी विकास के तीन समूहों के अंतर्गत सात विभागों, 17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सात स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण, जो वर्ष 2020-21 के दौरान नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये थे तथा वे, जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में तो आये थे परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे, उल्लिखित हैं; 2020-21 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक समझे गए, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

संक्षिप्त अवलोकन

संक्षिप्त अवलोकन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन हरियाणा सरकार के सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है। अनुपालन लेखापरीक्षा का तात्पर्य लेखापरीक्षित संस्थाओं के व्यय और राजस्व की जांच से है ताकि यह पता लगाया जा सके कि भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा के परिणामों से कार्यपालक को सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा नीतियों एवं निर्देशों को तैयार करने में सक्षम बनाने की अपेक्षा की जाती है जिससे संगठनों की परिचालन दक्षता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा, इस प्रकार बेहतर शासन में योगदान होगा।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) का यह प्रतिवेदन ऊर्जा और विद्युत, उद्योग और वाणिज्य तथा शहरी विकास के तीन क्लस्टरों के अंतर्गत सात विभागों, 17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सात स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है। अध्याय 1 एक परिचयात्मक अध्याय है, जिसमें राज्य की वित्तीय रूपरेखा, बजट और वास्तविक व्यय का विवरण, योजना और लेखापरीक्षा का संचालन और इन तीन क्लस्टरों के संबंध में पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गए मुद्दों का पालन शामिल है। अध्याय 2, 3 और 4 में क्रमशः ऊर्जा और विद्युत, उद्योग और वाणिज्य तथा शहरी विकास के क्लस्टरों से संबंधित सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न अभ्युक्तियां शामिल हैं।

(अनुच्छेद 1.1, पृष्ठ 1)

इस प्रतिवेदन में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के कार्यान्वयन पर एक अनुपालन आधारित अनुच्छेद सहित नौ अनुच्छेद शामिल हैं।

ऊर्जा और विद्युत क्लस्टर

अध्याय 2 में अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं जो ऊर्जा और विद्युत क्लस्टर के अंतर्गत राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन में कमियों को प्रकट करती हैं:

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का कार्यान्वयन

योजना के अंतर्गत सभी 21 परियोजनाओं के कार्यों को 306 दिनों से 657 दिनों के मध्य की देरी के साथ 470 दिनों की औसत देरी के साथ प्रदान किया गया था। कोई भी कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं किया गया था और विलंब 47 दिनों से 690 दिनों के मध्य था। योजना को समय पर प्रदान करने और पूरा करने के संबंध में लक्ष्य हासिल करने में विफलता तथा विद्युत

मंत्रालय, भारत सरकार और हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रक्षेप-पथ के अनुसार समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी के लक्ष्यों की अप्राप्ति के परिणामस्वरूप ₹ 36.93 करोड़ की अतिरिक्त अनुदान राशि प्राप्त करने का अवसर खोने की संभावना है।

(अनुच्छेद 2.1, पृष्ठ 9)

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटर की अपर्याप्तता

पर्याप्त स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटर की स्थापना न करने और रखरखाव के कारण कंपनी को 2016-17 से 2020-21 के दौरान ₹ 40.98 करोड़ के रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार का भुगतान करना पड़ा।

(अनुच्छेद 2.2, पृष्ठ 21)

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

220 किलोवोल्ट सब-स्टेशन के निर्माण पर निष्फल व्यय

कंपनी ने भूमि अधिग्रहण पर न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना सब-स्टेशन के निर्माण का कार्य प्रदान किया एवं निष्पादित किया जिसके परिणामस्वरूप निष्क्रिय सब-स्टेशन उपकरणों पर ₹ 12.76 करोड़ का निष्फल व्यय तथा ₹ 9.47 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.3, पृष्ठ 23)

उद्योग और वाणिज्य क्लस्टर

अध्याय 3 में अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं जो उद्योग और वाणिज्य क्लस्टर के अंतर्गत राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन में कमियों को प्रकट करती हैं:

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

विस्तार फीस में अनुचित कमी

कंपनी ने भवन निर्माण के लिए अनुमत समय अवधि से अधिक विस्तार देकर ₹ 57.77 करोड़ से अधिक का अनुचित लाभ दिया।

(अनुच्छेद 3.1, पृष्ठ 27)

जुर्माने का उद्ग्रहण न करना

कंपनी ने कंपनी की संपदा प्रबंधन प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार ₹ 13.27 करोड़ की फीस/जुर्माने के उद्ग्रहण के बिना परियोजना को पूर्ण घोषित करने में आबंटी को अनुचित लाभ पहुंचाया।

(अनुच्छेद 3.2, पृष्ठ 29)

अग्रिम आयकर के कम जमा होने के कारण परिहार्य ब्याज भार

कंपनी ने आय गणना तथा प्रकटीकरण मानकों को अपनाने में देरी की और ₹ 14.99 करोड़ का दंडात्मक ब्याज दिया। इस प्रक्रिया में इसे ₹ 4.05 करोड़ की परिहार्य अतिरिक्त ब्याज लागत वहन करनी पड़ी।

(अनुच्छेद 3.3, पृष्ठ 31)

शहरी विकास क्लस्टर

अध्याय 4 में अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं जो शहरी विकास क्लस्टर के अंतर्गत राज्य सरकार के विभागों के प्रबंधन में कमियों को प्रकट करती हैं:

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग

संशोधित दरों पर लाइसेंस फीस की अंतरीय राशि की वसूली न होना

समय पर कार्रवाई न करने के कारण विभाग आठ वर्ष से अधिक की अवधि के बाद भी ₹ 1.94 करोड़ की लाइसेंस फीस की अंतरीय राशि वसूल करने में विफल रहा।

(अनुच्छेद 4.1, पृष्ठ 35)

बैंक गारंटियों का पुनर्वैधीकरण न करने से राज्य के राजकोष को ₹ 9.84 करोड़ की हानि हुई

हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियमों के प्रावधानों को लागू न करने के कारण, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग राज्य के खजाने के हितों की रक्षा करने में विफल रहा और बैंक गारंटियों का पुनर्वैधीकरण न करने के कारण लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ दिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.84 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.2, पृष्ठ 36)

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, वन विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा तथा नगर निगम, फरीदाबाद

नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा आबंटित अधिसूचित भूमि (गैर-वानिकी गतिविधियों के निषेध के साथ संरक्षित एवं सुरक्षित) में बहुमंजिला इमारत का अवैध निर्माण तथा ₹ 182.46 करोड़ के विभिन्न वाणिज्यिक कार्यालय स्थलों की अनुवर्ती अवैध बिक्री

नगर निगम, फरीदाबाद ने पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 (गैर-वानिकी गतिविधियों के निषेध के साथ संरक्षित एवं सुरक्षित) के अंतर्गत अधिसूचित भूमि डेवलपर को आबंटित की, जिसने वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद इस पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया। भवन योजनाओं को नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा स्वीकृत किया गया था और आबंटन के निबंधनों के उल्लंघन में आधिपत्य प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया गया था। तत्पश्चात, डेवलपर द्वारा सब-रजिस्ट्रार से अवैध हस्तांतरण विलेखों का पंजीकरण करवाया गया। भवन का कुल मूल्यांकन ₹ 182.46 करोड़ है।

(अनुच्छेद 4.3, पृष्ठ 39)

अध्याय 1

प्रस्तावना

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

हरियाणा सरकार के अधीन 16[1] क्लस्टरों के अंतर्गत 53 विभाग, 37 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा 37 स्वायत्त निकाय क्रियाशील हैं, जैसा कि ***परिशिष्ट 1*** में वर्णित है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन ऊर्जा और विद्युत, उद्योग और वाणिज्य तथा शहरी विकास के तीन क्लस्टरों के अंतर्गत कार्यरत सात विभागों, 17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सात स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है जैसा कि ***परिशिष्ट 2*** में वर्णित है।

तीन क्लस्टरों के अंतर्गत विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों की सूची ***तालिका 1.1*** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.1: तीन क्लस्टरों के अंतर्गत विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के विवरण

क्र. सं.	क्लस्टर	विभागों की संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	स्वायत्त निकायों की संख्या
1	ऊर्जा और विद्युत	2	5	1
2	उद्योग और वाणिज्य	2	6	1
3	शहरी विकास	3	6	5
	कुल	**7**	**17**	**7**

अनुपालन लेखापरीक्षा का तात्पर्य लेखापरीक्षित संस्थाओं के व्यय और राजस्व की जांच से है ताकि यह पता लगाया जा सके कि भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों की अपेक्षा है कि रिपोर्टिंग का महत्वपूर्ण स्तर लेनदेन की प्रकृति, मात्रा और परिमाण के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा के परिणामों से कार्यपालक को सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा नीतियों एवं निर्देशों को तैयार करने में सक्षम बनाने की अपेक्षा की जाती है जिससे संगठनों की परिचालन दक्षता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा, इस प्रकार बेहतर शासन में योगदान होगा।

---

[1] (i) स्वास्थ्य और कल्याण, (ii) शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, (iii) वित्त, (iv) ग्रामीण विकास, (v) कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग, (vi) जल संसाधन, (vii) ऊर्जा और विद्युत, (viii) उद्योग और वाणिज्य, (ix) परिवहन, (x) शहरी विकास, (xi) पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, (xii) लोक निर्माण, (xiii) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, (xiv) कानून और व्यवस्था, (xv) संस्कृति और पर्यटन, और (xvi) सामान्य प्रशासन।

यह अध्याय लेखापरीक्षा के प्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना और सीमा तथा लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही की व्याख्या करता है। अध्याय 2, 3 और 4 में क्रमशः ऊर्जा और विद्युत, उद्योग और वाणिज्य तथा शहरी विकास के क्लस्टरों से संबंधित सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न अभ्युक्तियां शामिल हैं।

तीन क्लस्टरों (ऊर्जा और विद्युत, उद्योग और वाणिज्य तथा शहरी विकास) से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अतिरिक्त, अन्य समूहों/सेक्टरों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों से समाविष्ट प्रतिवेदन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

1.2 बजट प्रोफाइल

वर्ष 2016-21 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमानों तथा उनके विरूद्ध वास्तविक व्यय की स्थिति नीचे ***तालिका 1.2*** में दी गई है।

तालिका 1.2: 2016-21 के दौरान राज्य का बजट तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
सामान्य सेवाएं	21,663	21,631	24,379	26,699	29,788	28,169	35,358	31,884	37,228	34,734
सामाजिक सेवाएं	29,403	25,473	31,404	28,061	34,176	29,743	36,114	33,726	43,090	36,164
आर्थिक सेवाएं	23,482	20,875	23,752	18,107	20,916	19,022	22,770	19,238	25,020	19,048
सहायता अनुदान एवं अंशदान	248	424	401	390	306	222	0	0	0	0
कुल (1)	**74,796**	**68,403**	**79,936**	**73,257**	**85,186**	**77,156**	**94,242**	**84,848**	**1,05,338**	**89,946**
पूंजीगत परिव्यय	8,817	6,863	11,122	13,538	15,780	15,306	16,260	17,666	13,201	5,870
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	4,729	4,515	1,326	1,395	1,766	756	1,407	1,309	1,213	926
लोक ऋण का भुगतान	9,677	5,276	9,945	6,339	12,466	17,184	20,257	15,776	22,592	29,498
आकस्मिक निधि	-	80	-	27	-	13	-	-	-	-
आकस्मिक निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800
लोक लेखा संवितरण	96,756	29,276	2,04,107	31,171	2,32,569	37,386	1,41,707	42,171	51,356	50,245
अंतिम नकद शेष	-	5,658	-	4,417	-	2,985	-	3,999	-	3,148
कुल (2)	**1,19,979**	**51,668**	**2,26,500**	**56,887**	**2,62,581**	**73,630**	**1,79,631**	**80,921**	**88,362**	**90,487**
कुल योग (1+2)	**1,94,775**	**1,20,071**	**3,06,436**	**1,30,144**	**3,47,767**	**1,50,786**	**2,73,873**	**1,65,769**	**1,93,700**	**1,80,433**

स्रोतः राज्य सरकार के बजट की वार्षिक वित्तीय विवरणियां एवं स्पष्टीकरण ज्ञापन।

उपर्युक्त सेवाओं में से 2016-21 के दौरान तीन क्लस्टरों अर्थात ऊर्जा और विद्युत, उद्योग और वाणिज्य तथा शहरी विकास के संबंध में बजट अनुमान और वास्तविक व्यय की स्थिति ***तालिका 1.3*** में दी गई है।

तालिका 1.3: तीन क्लस्टरों के बजट और वास्तविक व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

व्यय	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
ऊर्जा और विद्युत										
राजस्व व्यय	10716.77	10514.98	10230.3	7631.52	6586.09	7447.42	7338.16	7015.3	6684.51	5788.32
पूंजीगत परिव्यय	1933.51	1894.73	1525.34	5454.44	5490.01	5500.25	5834.19	5829.63	752.85	527.09
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	4176.42	3647.08	923.15	887.48	1274.64	52.84	285.21	160.63	115.01	56.16
कुल	**16826.7**	**16056.79**	**12678.79**	**13973.44**	**13350.74**	**13000.51**	**13457.56**	**13005.56**	**7552.37**	**6371.57**
उद्योग और वाणिज्य										
राजस्व व्यय	803.78	349.80	540.29	317.7	533.5	402.78	575.34	392.19	498.35	390.6
पूंजीगत परिव्यय	5.22	2.20	10.21	2.24	15.21	2.11	15.21	13.21	14.71	4.79
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	425	322.00	235	230	270.01	413.96	870	815.64	600	479.9
कुल	**1234**	**674.00**	**785.5**	**549.94**	**818.72**	**818.85**	**1460.55**	**1221.04**	**1113.06**	**875.29**
शहरी विकास										
राजस्व व्यय	3673.05	2782.54	3984.96	4066.73	4362.52	2970.12	4637.78	3339.49	5136.22	3684.78
पूंजीगत परिव्यय	132	68.2	1132	1000	1300	1388.83	1468.2	979.14	1610	650.38
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**3805.05**	**2850.74**	**5116.96**	**5066.73**	**5662.52**	**4358.95**	**6105.98**	**4318.63**	**6746.22**	**4335.16**
कुल योग	**21865.75**	**19581.53**	**18581.25**	**19590.11**	**19831.98**	**18178.31**	**21024.09**	**18545.23**	**15411.65**	**11582.02**

स्रोतः राज्य सरकार के बजट की वार्षिक वित्तीय विवरणियां एवं स्पष्टीकरण ज्ञापन।

1.3 राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग

2020-21 के दौरान ₹ 1,93,700 करोड़ के राज्य के कुल बजट परिव्यय के विरूद्व संसाधनों का उपयोग ₹ 1,80,433 करोड़ था। इन तीनों क्लस्टरों का कुल व्यय[2] वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 11,582 करोड़ था। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान तीन क्लस्टरों का कुल व्यय ₹ 19,581.53 करोड़ से 40.85 प्रतिशत घटकर ₹ 11,582.02 करोड़ हो गया। इसी अवधि के दौरान राजस्व व्यय ₹ 13,647.32 करोड़ से 27.72 प्रतिशत घटकर ₹ 9,863.70 करोड़ हो गया। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय 57.95 से 85.16 प्रतिशत जबकि पूंजीगत व्यय 10.04 से 37.91 प्रतिशत के मध्य था।

1.4 लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों और योजनाओं/परियोजनाओं के जोखिमों के आकलन से शुरू होती है, जिसमें गतिविधियों का महत्व/जटिलता, प्राप्त वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण, संबंधित हितधारकों की अपेक्षाओं तथा पिछले लेखापरीक्षा परिणामों का आकलन शामिल किया जाता है। जोखिम के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा निश्चित की जाती है तथा वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

[2] राजस्व व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम का योग।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा परिणामों से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अध्यक्ष को चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ जारी किया जाता है। उत्तर के आधार पर या तो लेखापरीक्षा परिणामों का समाधान कर दिया जाता है अथवा अनुपालना के लिए अगली कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने होते हैं, में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीनस्थ संगठन के रूप में 2020-21 के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अंतर्गत लेखापरीक्षा योग्य 86 इकाइयों में से 10 विभागीय लेखापरीक्षित इकाइयों, धारा 19 (1) के अंतर्गत 17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा योग्य 85 इकाइयों में से 10 इकाइयों और धारा 19 (2), 19 (3) के अंतर्गत सात स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा योग्य 79 इकाइयों में से 15 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी।

1.5 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा सरकार के लेखापरीक्षा को उत्तर

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने चयनित विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों, जिनका विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यक्रमों तथा कार्यविधियों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव है, पर रिपोर्ट की है। लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य नागरिक सेवाओं में सुधार लाने हेतु कार्यकारिणी/प्रबंधन को उचित सिफारिशें देना था। विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा छः सप्ताह की समय अवधि में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदों पर अपनी प्रतिक्रिया भेजनी अपेक्षित है।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में नौ अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं, जो संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किए गए थे। प्रशासनिक विभागों से उत्तर प्रतीक्षित हैं।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की संवेदनशीलता

सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आवधिक निरीक्षणों के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यालयों के अध्यक्षों को जारी किए जाते हैं तथा उनके उच्च प्रबंधन को प्रतियां भेजी जाती हैं। कार्यकारी प्राधिकारियों/प्रबंधनों से इंगित की गई त्रुटियों तथा चूकों को दूर करने और चार सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालना सूचित करने की अपेक्षा की जाती है। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की मानीटरिंग तथा अनुपालना को सुगम बनाने के लिए, छः माह से अधिक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भेजी जाती हैं।

30 सितंबर 2021 तक, विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों से संबंधित विभिन्न लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों के विरुद्ध 962 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 3,332 अनुच्छेद ऊर्जा और विद्युत, उद्योग और वाणिज्य तथा शहरी विकास क्लस्टरों के अंतर्गत लंबित थे, जैसा कि नीचे ***तालिका 1.4*** में वर्णित है:

तालिका 1.4: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्षवार विघटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऊर्जा और विद्युत		उद्योग और वाणिज्य		शहरी विकास	
	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (अनुच्छेद)	धन मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (अनुच्छेद)	धन मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (अनुच्छेद)	धन मूल्य
2014-15 से पहले	69 (156)	3,051.29	118 (188)	104.30	315 (841)	9,574.91
2015-16	22 (59)	1,716.54	12 (24)	119.70	43 (195)	1,431.87
2016-17	30 (73)	596.98	11 (39)	186.88	27 (133)	32,236.73
2017-18	38 (135)	1,008.97	15 (42)	121.49	52 (272)	78,338.17
2018-19	40 (182)	829.77	12 (38)	164.01	48 (294)	1,67,190.75
2019-20	36 (194)	1,927.22	12 (47)	292.83	17 (142)	767.16
2020-21	15 (115)	3,091.67	9 (53)	659.32	21 (110)	2,900.28
कुल	**250 (914)**	**12,222.44**	**189 (431)**	**1,648.53**	**523 (1987)**	**2,92,439.87**

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन रजिस्टरों से ली गई सूचना।

सितंबर 2021 तक लंबित इन निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं के श्रेणी-वार विवरण ***परिशिष्ट 3*** में दिए गए हैं।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति में चर्चा

1.7.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी (अक्तूबर 1995) तथा मार्च 1997 एवं जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि ये मामले लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति द्वारा जांच हेतु लिए गए हैं या नहीं, स्वतः कार्रवाई आरंभ की जानी अपेक्षित है। प्रशासनिक विभागों से विधानमंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई दर्शाते हुए कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत करनी अपेक्षित थीं।

वर्ष 2018-19 के लिए सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर वर्ष 2021-22 के दौरान लोक लेखा समिति में चर्चा की गई है। वर्ष 2018-19

के लिए सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (सा.क्षे.उ.) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसमें 15 अनुच्छेद शामिल थे और वर्ष 2019-20 के लिए सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसमें 19 अनुच्छेद शामिल थे, को क्रमशः 5 मार्च 2021 और 22 दिसंबर 2021 को राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ***(परिशिष्ट 4)*** और लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति में अभी चर्चा की जानी शेष थी (मार्च 2022)। तीन क्लस्टरों से संबंधित विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के अनुच्छेदों की स्थिति ***तालिका 1.5*** में दी गई है।

तालिका 1.5: 31 मार्च 2022 तक तीन क्लस्टरों से संबंधित विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति में चर्चा किए जाने वाले अनुच्छेदों/कृत कार्रवाई टिप्पणियों का विवरण

क्लस्टर	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 2018-2019**		**अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2019-20**	
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं/ अनुच्छेद	**निष्पादन लेखापरीक्षाओं/ अनुच्छेदों की संख्या जिनकी कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थीं**	**लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं/ अनुच्छेद**	**निष्पादन लेखापरीक्षाओं/ अनुच्छेदों की संख्या जिनकी कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थीं**
ऊर्जा और विद्युत	08	01	03	03
उद्योग और वाणिज्य	03	03	02	02
शहरी विकास	शून्य	शून्य	03	03

1.7.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किए गए अनुच्छेदों पर की गई कार्रवाई

24 प्रशासनिक विभागों में ₹ 28,570.81 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के वर्ष 2000-01 से 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 45 अनुच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) बकाया थे, जिनमें कार्रवाई नहीं की गई थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 5*** में वर्णित है। तीन क्लस्टरों से संबंधित विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के संबंध में बकाया अनुच्छेदों के वित्तीय प्रभाव का विवरण ***तालिका 1.6*** में दिया गया है।

तालिका 1.6: 31 मार्च 2021 को तीन क्लस्टरों से संबंधित विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में बकाया अनुच्छेदों के प्रभाव का विवरण

विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
ऊर्जा और विद्युत			
-	शून्य	शून्य	शून्य
उद्योग और वाणिज्य			
उद्योग और वाणिज्य विभाग	2017-18	3.10	145.00
शहरी विकास			
नगर एवं ग्राम आयोजना (हुडा)	2000-01	3.16	15,529.00
	2001-02	6.10	4,055.00
	2011-12	2.3.10.8	16,700.00
	2013-14	2.3.10.6	1,266.00
		2.3.10.11	37,386.00
		3.20	84.64
	2015-16	3.18 (क)	41,715.00
		3.18 (ख)	1,077.00
	2017-18	3.17 क	16,086.00
		3.17 ख	1,972.00
		3.18.7 (i)	11,14,413.00
		3.18.7 (ii)	1,955.00
		3.18.10	4,678.00
		3.18.11 (i)	342.00
		3.18.11 (ii)	2,025.00
		3.18.11 (iii)	2,690.00
	2018-19	3.14.3.3	3,189.00
		3.14.3.4	713.00
		3.14.3.7	15,21,661.00
		3.14.3.8	1,314.00
		3.14.3.11	96.00
		3.14.4.3	1,122.00
		3.14.4.5	72.00
		3.15	561.00
शहरी स्थानीय निकाय	2012-13	2.2.8.1	17,040.00
		2.2.8.6	10,182.00
		3.20	554.00
आवास	2018-19	3.9	41.00
कुल			**28,18,663.64**

1.7.3 लोक उपक्रम समिति तथा लोक लेखा समिति की रिपोर्टों का अनुपालन

लोक लेखा समिति तथा लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया प्रोत्साहक नहीं थी। वर्ष 1979-80 से 2021-22 तक की अवधि हेतु लोक लेखा समिति की

16वीं से 82वीं रिपोर्ट में निहित 673 सिफारिशों और वर्ष 1983-84 से 2021-22 के लिए लोक उपक्रम समिति की 16वीं से 68वीं रिपोर्ट में निहित 232 सिफारिशों के संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अंतिम कार्रवाई अब तक प्रतीक्षित थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 6*** में विवरण दिए गए हैं। तीन क्लस्टरों से संबंधित विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के संबंध में लंबित सिफारिशों का विवरण ***तालिका 1.7*** में दिया गया है।

तालिका 1.7: 31 मार्च 2022 तक तीन क्लस्टरों से संबंधित विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के संबंध में लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों का विवरण

लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों की संख्या	लोक उपक्रम समिति की रिपोर्ट	लोक लेखा समिति की सिफारिशों की संख्या	लोक लेखा समिति की रिपोर्ट
ऊर्जा और विद्युत			
47	35वीं, 52वीं, 53वीं, 57वीं, 58वीं, 60वीं, 61वीं, 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं, 68वीं	2	35वीं, 74वीं
उद्योग और वाणिज्य			
51	41वीं, 45वीं, 48वीं, 49वीं, 50वीं, 52वीं, 56वीं, 57वीं, 58वीं, 60वीं, 62वीं, 65वीं, 67वीं, 68वीं	15	9वीं, 16वीं, 22वीं, 32वीं, 36वीं, 50वीं, 68वीं, 70वीं, 73वीं, 79वीं, 81वीं
शहरी विकास			
15	47वीं, 67वीं	119	25वीं, 32वीं, 36वीं, 40वीं, 44वीं, 48वीं, 50वीं, 52वीं, 54वीं, 58वीं, 60वीं, 61वीं, 62वीं, 63वीं, 65वीं, 67वीं, 68वीं, 72वीं, 73वीं, 74वीं, 75वीं, 79वीं, 80वीं, 81वीं, 82वीं
113		**136**	

अध्याय 2

ऊर्जा और विद्युत

अध्याय 2

उर्जा और विद्युत

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

2.1 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का कार्यान्वयन

योजना के अंतर्गत सभी 21 परियोजनाओं के कार्यों को 306 दिनों से 657 दिनों के मध्य की देरी के साथ 470 दिनों की औसत देरी के साथ प्रदान किया गया था। कोई भी कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं किया गया था और विलंब 47 दिनों से 690 दिनों के मध्य था। योजना को समय पर प्रदान करने और पूरा करने के संबंध में लक्ष्य हासिल करने में विफलता तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रक्षेप-पथ के अनुसार समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी के लक्ष्यों की अप्राप्ति के परिणामस्वरूप ₹ 36.93 करोड़ की अतिरिक्त अनुदान राशि प्राप्त करने का अवसर गंवाने की संभावना है।

2.1.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि बिजली फीडरों को अलग करने के लिए "दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" शुरू की (दिसंबर 2014)। इससे वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों और उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग और सब-प्रसारण एवं वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने एवं बढ़ाने की सुविधा होगी। 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्यों को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में शामिल किया गया था।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय था। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी सचिव, विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति[1] (एम.सी.) द्वारा की जाती है। विद्युत मंत्रालय के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के संचालन तथा कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर.ई.सी.) नोडल एजेंसी है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने भारत सरकार से अनुदान प्राप्त किया और सभी निधियों को कार्यान्वयन एजेंसियों को चैनलाइज़ किया।

---

[1] योजना के दिशा-निर्देशों के अनुमोदन, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों/परियोजनाओं की मंजूरी, कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा आदि के लिए सचिव, विद्युत मंत्रालय (अध्यक्ष) विशेष सचिव/अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय; प्रधान सलाहकार (ऊर्जा), योजना आयोग/उत्तराधिकारी संगठन को मिलाकर बनी समिति।

हरियाणा राज्य में दो बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्ज)[2] विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा राज्य स्तरीय स्थायी समिति[3] (एस.एल.एस.सी.) द्वारा नोडल एजेंसी को विधिवत अनुशंसित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने एवं दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि क्या वितरण कंपनियों ने कार्यों के निष्पादन में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया था तथा उपलब्ध निधियों का किफ़ायती एवं कुशल ढंग से उपयोग किया गया था।

लेखापरीक्षा दोनों राज्य वितरण कंपनियों (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड) के प्रधान कार्यालयों को कवर करते हुए आयोजित की गई थी, जिसमें 21 में से पांच[4] जिले/परियोजनाएं (25 प्रतिशत) और एक[5] जिला/परियोजना (पांच प्रतिशत) शामिल थी, जो उच्च मूल्य और उच्च जोखिम वाली थी। आइडिया (इंटरएक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस) सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए जिलों/परियोजनाओं का चयन बिना प्रतिस्थापन पद्धति के साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा किया गया था।

2.1.2 योजना का वित्त-पोषण तंत्र तथा वहन किया गया व्यय

हरियाणा में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के वित्त-पोषण तंत्र को **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1: दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का वित्त-पोषण तंत्र

एजेंसी	सहयोग की प्रकृति	सहयोग की मात्रा (परियोजना लागत की प्रतिशतता)
भारत सरकार	अनुदान	60
वितरण कंपनियों का योगदान	स्वयं की निधि	10
ऋणदाता (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड/वित्तीय संस्थान/बैंक)	ऋण	30
निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान	अनुदान	कुल ऋण घटक (30 प्रतिशत) का 50 प्रतिशत अर्थात् 15 प्रतिशत
भारत सरकार द्वारा अधिकतम अनुदान (निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर अतिरिक्त अनुदान सहित)	अनुदान	75

स्रोत: दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के दिशानिर्देश

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पर स्वीकृत राशि, जारी की गई राशि और वास्तविक व्यय का सारांश **तालिका 2.2** में उल्लिखित है।

---

2 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

3 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के दिशा-निर्देशों तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, हरियाणा सरकार एवं वितरण कंपनियों के मध्य निष्पादित त्रिपक्षीय अनुबंध (जनवरी 2016) के अनुसार, हरियाणा सरकार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एस.एल.एस.सी.) का गठन करना था।

4 कुरुक्षेत्र, रोहतक, झज्जर, सिरसा और भिवानी।

5 भिवानी।

तालिका 2.2: दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि, जारी की गई राशि तथा किया गया वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड			दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड			कुल हरियाणा		
	स्वीकृत राशि	जारी की गई अनुदान राशि	किया गया वास्तविक व्यय	स्वीकृत राशि	जारी की गई अनुदान राशि	किया गया वास्तविक व्यय	स्वीकृत राशि	जारी की गई अनुदान राशि	किया गया वास्तविक व्यय
2015-16	153.38	शून्य	शून्य	162.69	शून्य	शून्य	316.07	शून्य	शून्य
2016-17		शून्य	शून्य		शून्य	शून्य		शून्य	शून्य
2017-18		9.16	शून्य		43.72	64.27		52.88	64.27
2018-19		18.47	40.09		शून्य	11.28		18.47	51.37
2019-20		17.81	66.24		29.88	39.99		47.69	106.23
2020-21			46.23		3.74	13.78		3.74	60.01
2021-22		37.06	11.45		शून्य	शून्य		37.06	11.45
कुल	**153.38**	**82.50**	**164.01**	**162.69**	**77.34**	**129.32**	**316.07**	**159.84**	**293.33**

स्रोत: वितरण कंपनियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत दो वितरण कंपनियों के लिए स्वीकृत कुल परियोजनाओं की लागत ₹ 316.07 करोड़ थी जबकि वास्तविक व्यय ₹ 293.33 करोड़ था। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में व्यय (₹ 164.01 करोड़) ₹ 153.38 करोड़ की स्वीकृत राशि से अधिक था जबकि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ₹ 162.69 करोड़ की स्वीकृत लागत के प्रति ₹ 129.32 करोड़ का व्यय कर सका।

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा ने वितरण कंपनियों द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के कार्यान्वयन में कमियां पाईं।

2.1.3 परियोजना में देरी और प्रभाव

क. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना दिशानिर्देश (दिसंबर 2014) में निर्धारित किया गया था कि परियोजनाओं को निगरानी समिति के अनुमोदन की सूचना की तारीख के छः महीने के भीतर अर्थात् 20 मार्च 2016 तक प्रदान किया जाना था। परियोजना का कार्य टर्नकी अनुबंध के मामले में लेटर ऑफ अवार्ड (एल.ओ.ए.) जारी होने की तारीख से 24 महीने (मार्च 2018 तक) और आंशिक टर्नकी अनुबंध/विभागीय निष्पादन के मामले में 30 महीने के भीतर पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने दोनों वितरण कंपनियों की सभी 21 परियोजनाओं के संबंध में लेटर ऑफ इनटेंट जारी करने और उनके पूरा होने में विलंब अवलोकित किया, जैसा कि **तालिका 2.3** में वर्णित है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में अक्तूबर 2017 और जनवरी 2018 के बीच और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में जनवरी 2017 और अप्रैल 2017 के बीच लेटर ऑफ इनटेंट जारी किए गए थे। विलंब, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित तिथि (मार्च 2016) के 306 दिनों (हिसार, जींद और फतेहाबाद) से 657 दिनों (यमुनानगर, पानीपत और अंबाला) की सीमा में था। आगे, परियोजनाओं को पूरा

करने की निर्धारित तिथि से पूरा होने में विलंब उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में 47 दिनों (यमुनानगर) से 410 दिनों (झज्जर) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में 163 दिनों (भिवानी) से 690 दिनों (फतेहाबाद) तक था।

तालिका 2.3: परियोजनाओं के आबंटन और पूर्ण होने में विलंब

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रदानगी की निर्धारित तिथि	वितरण कंपनियों द्वारा परियोजना की प्रदानगी की तिथि	प्रदानगी में देरी (दिनों में)	पूर्णता की निर्धारित तिथि	परियोजना के पूरा होने की तिथि	परियोजना के समाप्त होने की तिथि (अनंतिम)	पूरा करने में देरी (दिनों में)
	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड							
1	पंचकुला	31 मार्च 2016	3 अक्तूबर 2017	551	2 अक्तूबर 2018	जून 2019	28 नवंबर 2020	242
2	रोहतक		16 नवंबर 2017	595	15 मई 2019	जनवरी 2020	05 जनवरी 2021	230
3	झज्जर		16 नवंबर 2017	595	15 फरवरी 2019	मार्च 2020	03 मार्च 2021	380
4	कैथल		19 दिसंबर 2017	628	18 जून 2019	दिसंबर 2019	05 मार्च 2021	166
5	कुरुक्षेत्र		19 दिसंबर 2017	628	18 जून 2019	दिसंबर 2019	09 मार्च 2021	166
6	यमुनानगर		17 जनवरी 2018	657	16 जुलाई 2019	सितंबर 2019	15 मार्च 2021	47
7	सोनीपत		3 अक्तूबर 2017	551	2 अक्तूबर 2018	सितंबर 2019	28 नवंबर 2020	334
8	पानीपत		17 जनवरी 2018	657	16 जनवरी 2019	सितंबर 2019	05 जनवरी 2021	228
9	अंबाला		17 जनवरी 2018	657	16 जुलाई 2019	मार्च 2020	18 मार्च 2021	229
10	करनाल		विभागीय निष्पादन			फरवरी 2020	11 फरवरी 2021	--
	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड							
1	भिवानी	31 मार्च 2016	02 मार्च 2017	336	30 मार्च 2019	09 सितंबर 2019	15 दिसंबर 2020	163
2	गुरुग्राम		27 अप्रैल 2017	392	26 अप्रैल 2018	21 मई 2019	27 नवंबर 2020	390
3	फरीदाबाद		27 अप्रैल 2017	392	26 अप्रैल 2018	12 अक्तूबर 2019	10 दिसंबर 2020	534
4	फतेहाबाद		31 जनवरी 2017	306	30 अप्रैल 2018	20 मार्च 2020	03 दिसंबर 2020	690
5	जींद		31 जनवरी 2017	306	30 जुलाई 2018	09 अक्तूबर 2019	03 दिसंबर 2020	436
6	महिंदरगढ़		02 मार्च 2017	336	01 जून 2018	22 अगस्त 2019	15 दिसंबर 2020	447
7	मेवात		27 अप्रैल 2017	392	26 जुलाई 2018	15 जनवरी 2020	09 दिसंबर 2020	538
8	पलवल		27 अप्रैल 2017	392	26 जुलाई 2018	20 मई 2019	09 दिसंबर 2020	298
9	रेवाड़ी		27 अप्रैल 2017	392	26 अक्तूबर 2018	25 नवंबर 2019	07 दिसंबर 2020	395
10	सिरसा		02 मार्च 2017	336	1 सितंबर 2018	26 दिसंबर 2019	01 दिसंबर 2020	481
11	हिसार		31 जनवरी 2017	306	विभागीय निष्पादन	07 अगस्त 2019	14 जनवरी 2021	--

स्रोत: वितरण कंपनियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित

परियोजनाओं के आबंटन में औसत विलंब 470 दिन था जबकि परियोजनाओं को पूरा करने में औसत विलंब 340 दिन था। परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब मुख्य रूप से ठेकेदारों की ओर से था जैसे केबलों के नमूनों की विफलता के कारण निधियों की कमी और उनका भुगतान रोक दिया जाना, कार्यों की धीमी प्रगति, दोषों के सुधार में देरी।

वितरण कंपनियों ने उत्तर दिया (जनवरी 2022) कि प्रदानगी में देरी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा शर्तों में बार-बार बदलाव और बोलीदाताओं द्वारा खराब प्रतिक्रिया के कारण थी। उन्होंने यह भी बताया कि निष्पादन में देरी कुछ संविदात्मक मुद्दों, मार्ग अधिकार के मुद्दों, जन बाधा के कारण थी तथा देरी के लिए ठेकेदारों पर लिक्विडेटेड हर्जाना लगाया गया है। मुद्दा यह है कि कोई भी परियोजना निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं हुई थी और परिकल्पित लाभों में देरी हुई थी।

ख. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत स्वीकार्य 60 प्रतिशत अनुदान के अलावा, ऋण घटक के 50 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त अनुदान (अर्थात, 15 प्रतिशत) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा जारी किया जाना था, जो योजना के समय पर पूरा होने के अलावा निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के अधीन था।

क) राज्य सरकार (वितरण कंपनी-वार) के परामर्श से विद्युत मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रक्षेप-पथ के अनुसार कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए.टी. एंड सी.) हानियों में कमी।

ख) मीटर खपत के आधार पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य राजस्व सब्सिडी का अग्रिम भुगतान।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के दिशा-निर्देशों (दिसंबर 2014) के साथ राज्य सरकारों (वितरण कंपनी-वार) के परामर्श से विद्युत मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए वास्तविक तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी के प्रक्षेप-पथ से अवगत कराया गया था। उपयोगिता के वास्तविक तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि के आंकड़े की स्थिति के अनुपालन का आकलन करने के लिए अंतिम रूप दिए गए प्रक्षेप-पथ के अनुसार संबंधित वास्तविक कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि स्तर के साथ तुलना की जानी थी। वितरण कंपनियों के लिए कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि प्रक्षेप-पथ को अंतिम रूप दिया गया और इसकी वास्तविक स्थिति **तालिका 2.4** में दी गई है:

तालिका 2.4: वितरण कंपनियों की कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां

(प्रतिशत में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड					
लक्ष्य	24.48	22.20	20.44	19.31	18.17
वास्तविक	30.71	25.46	21.12	20.10	16.55
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड					
लक्ष्य	18.74	17.01	15.66	14.79	13.92
वास्तविक	21.66	16.31	14.67	16.30	15.97

स्रोत: वितरण कंपनियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित।

2016-17 से 2019-20 में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के लिए तथा 2016-17, 2019-20 और 2020-21 में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रक्षेप-पथ के अनुसार समयबद्ध प्रदानगी और योजना को पूरा करने तथा तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे में कमी न करने के संबंध में निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में विफल होने के कारण वितरण कंपनियों को ₹ 36.93 करोड़ (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में ₹ 19.87 करोड़[6] और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में ₹ 17.06 करोड़[7]) की अतिरिक्त अनुदान राशि का नुकसान हो सकता है। मार्च 2021 तक परियोजनाओं के पूरा होने के तुरंत बाद अतिरिक्त अनुदान का दावा किया जा सकता था। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने मार्च 2022 में अतिरिक्त अनुदान का दावा किया था जबकि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने मई 2022 तक दावा नहीं किया था।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2022) कि यद्यपि परियोजनाएं विस्तारित समय के अंदर पूरी हो गई थीं, फिर भी समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक

---

6 प्रदान की गई लागत ₹ 149.30 करोड़ घटा राज्य वस्तु एवं सेवा कर ₹ 13.09 करोड़, घटा परिसमाप्त क्षति ₹ 3.74 करोड़ = ₹ 132.47 करोड़ X 15 प्रतिशत = ₹ 19.87 करोड़।

7 निष्पादित लागत ₹ 129.18 करोड़, घटा राज्य वस्तु एवं सेवा कर ₹ 11.26 करोड़, घटा परिसमाप्त क्षति ₹ 4.17 करोड़ = ₹ 113.75 करोड़ X 15 प्रतिशत = ₹ 17.06 करोड़।

हानि का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बताया कि कंपनी ने अतिरिक्त अनुदान घटक का दावा करने के लिए सभी निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और अतिरिक्त अनुदान घटक जारी करने के लिए मामले को नोडल एजेंसी के साथ उठाया जा रहा था।

उत्तर विश्वासप्रद नहीं था क्योंकि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में कमी थी। इसके अलावा, राज्य सरकार स्वीकार्य राजस्व सब्सिडी जारी करने में विफल रही थी जो अतिरिक्त अनुदान का दावा करने के लिए तीसरा निर्धारित लक्ष्य था। इस प्रकार, वितरण कंपनियां अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने का अवसर खो सकती हैं।

2.1.4 कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में परिकल्पना की गई थी कि गैर-कृषि उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति के बढ़े हुए घंटे प्रदान करना तथा कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करके कृषि उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना संभव था। हरियाणा राज्य की आवश्यकताओं का सारांश, विद्युत मंत्रालय द्वारा संस्वीकृतियां और फीडरों/नए फीडर घटकों के पृथक्करण की प्राप्तियों का विवरण नीचे **तालिका 2.5** में दिया गया है:

तालिका 2.5: फीडरों/नए फीडरों का पृथक्करण

घटक का नाम	विस्तृत परियोजन रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की आवश्यकताएं	विद्युत मंत्रालय की संस्वीकृति	वास्तविक प्राप्ति	अभ्युक्तियां
फीडरों/नए फीडरों का पृथक्करण (संख्या)	331 (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड-112 तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड-219)	331	211 (दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड)	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने पहले ही अपने फीडर अलग कर दिए थे।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया है कि हरियाणा में 331 फीडरों को अलग करने के लिए संस्वीकृत किया गया था। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के मामले में, फीडर अलग करने के संबंध में वास्तविक प्राप्ति 219 की संस्वीकृत संख्या के विरूद्ध 211 थी। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के मामले में, वितरण कंपनी ने उल्लेख किया था कि सभी फीडर पहले ही अलग किए जा चुके थे।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने उत्तर दिया (जनवरी 2022) कि रास्ते के अधिकार के मुद्दे/सार्वजनिक बाधा के कारण शेष आठ फीडरों के संबंध में कार्य निष्पादित नहीं किया जा सका।

2.1.5 वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-प्रसारण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन

ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और ग्राम विद्युतीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त मीटरिंग व्यवस्था के साथ-साथ उप-प्रसारण एवं वितरण बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन एक आवश्यक घटक है। हरियाणा की आवश्यकताओं का सारांश, विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृतियां और प्रत्येक घटक के विरूद्ध प्राप्तियों का विवरण नीचे **तालिका 2.6** में दिया गया है:

तालिका 2.6: उप-प्रसारण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन

घटक का नाम	विस्तृत परियोजन रिपोर्ट/राज्य योजना के अनुसार राज्यों की आवश्यकताएं	विद्युत मंत्रालय की संस्वीकृति	वास्तविक प्राप्ति
33 किलोवोल्ट/66 किलोवोल्ट लाइन बिछाना (सर्किट किलोमीटर)	123	123	136.21
नए सब-स्टेशनों का निर्माण (संख्या)	14	14	14
मौजूदा सब-स्टेशनों का विस्तार (संख्या)	1	1	19
मीटरिंग (संख्या)	46,044	46,044	85,695

स्रोत: वितरण कंपनियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि हरियाणा में वितरण कंपनियों ने उप-प्रसारण एवं वितरण बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन के संबंध में लक्ष्य प्राप्त किए थे। 19 सब-स्टेशनों में से, 18 सब-स्टेशनों को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा शून्य के लक्ष्य के विरुद्ध संवर्धित किया गया था। इसी प्रकार, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने मीटरिंग की 15,583 और 30,461 की संख्या के लक्ष्य के विरूद्ध क्रमशः 1,964 और 37,687 की संख्या का अधिक लक्ष्य प्राप्त किया।

2.1.6 11 किलोवोल्ट क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथलीन केबल का निर्माण

यमुनानगर जिले में (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए सामग्री की आपूर्ति और निर्माण का कार्य ₹ 17.12 करोड़ की कुल लागत पर ठेकेदार को प्रदान किया गया था (जनवरी 2018)।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने अवलोकित किया (मार्च 2018) कि निविदा आमंत्रण सूचना में प्रदान की गई हाई टेंशन एरियल बंच्ड (एचटी एबी) केबल बार-बार क्षतिग्रस्त होने की संभावना थी और इसकी मरम्मत की जानी थी। इसलिए, उन्होंने 11 किलोवोल्ट हाई टेंशन क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथलीन (एक्स.एल.पी.ई.) केबल का उपयोग करने का निर्णय लिया। हालांकि, ठेकेदार 11 किलोवोल्ट हाई टेंशन क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथलीन केबल की आपूर्ति और निर्माण के लिए सहमत नहीं था (मई 2018) क्योंकि यह निविदा आमंत्रण सूचना का हिस्सा नहीं था और बाद के चरण में जोड़ा गया था। ठेकेदार इस मद के लिए मानक बोली दस्तावेज (एस.बी.डी.) के अनुसार नई दरों की पेशकश करने की अनुमति चाहता था, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि किसी परिवर्तित मद की दरें और मूल्य अनुबंध में उपलब्ध नहीं थे, तो उसके पक्षकारों को विशिष्ट दरों पर सहमत होना चाहिए। तथापि, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने स्वयं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित ₹ 796.61[8] प्रति मीटर की दर से 48.450 किलोमीटर 11 किलोवोल्ट हाई टेंशन क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथलीन केबल की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य प्रदान किया (जून 2018)।

ठेकेदार ने कार्य आदेश को रद्द करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से संपर्क किया (जुलाई 2018) जहां ठेकेदार को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए प्रबंध निदेशक के समक्ष पेश होने

8 कंपनी के प्लानिंग एंड डिज़ाइन (पी.डी.) विंग द्वारा निर्धारित दरें ₹ 741.790 प्रति मीटर और 7.39 प्रतिशत की दर से प्रीमियम।

की अनुमति दी गई थी। कंपनी ने 11 किलोवोल्ट हाई टेंशन क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथलीन केबल के वस्तु एवं सेवा कर सहित ₹ 940[9] प्रति मीटर के स्थान पर ₹ 1,139.80[10] प्रति मीटर की मोल-भाव दर की पेशकश की।

ठेकेदार ने 11 किलोवोल्ट हाई टेंशन क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथलीन केबल की 48.968 किलोमीटर की आपूर्ति की एवं लगाई तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की स्वीकृत दरों की तुलना में ₹ 97.84 लाख[11] का अतिरिक्त व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अन्य ठेकेदारों ने अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक और कैथल जिलों में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना परियोजनाओं के अंतर्गत उसी प्रकार केबल की आपूर्ति की और स्थापित की जो पहले निविदा आमंत्रण नोटिस में प्रदान नहीं की गई थी। इन सभी जिलों में, ठेकेदारों को अनुमत दरें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (पी.डी. दरें) के आयोजना एवं डिजाइन विंग द्वारा परिगणित की गई दरें और उद्धृत प्रीमियम था।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2022) कि हैवेल्स ब्रांड के केबल्स के अधिकृत डीलर से प्राप्त कोटेशन के आधार पर दर निर्धारित की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि केबल का मूल्य (₹ 5.58 करोड़) निर्धारित करने का औचित्य एकल कोटेशन पर आधारित था जो कंपनी द्वारा पहले से प्राप्त गई दरों से अधिक था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, अपर मुख्य सचिव (विद्युत), हरियाणा ने बताया कि केबल को अनुबंध के दायरे से बाहर रखा जा सकता था और यह जांच करने के लिए कहा गया कि किस स्तर पर निर्णय लिया गया था। आगे, एकल कोटेशन के बजाय प्रतिस्पर्धी बोली आमंत्रित की जानी चाहिए थी।

2.1.7 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री के संबंध में अंतरीय लागत की वसूली न होना

टर्नकी परियोजनाओं के मामले में, ठेकेदारों को कार्यादेश के अनुसार सामग्री की आपूर्ति के साथ-साथ कार्य पूर्ण होने की निर्धारित अवधि के अंदर निर्माण करना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने देखा कि सिरसा और भिवानी जिलों के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए संयंत्र और उपकरण (स्थापना सहित) की आपूर्ति के लिए कार्य आदेश, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नई 11 किलोवोल्ट लाइन का निर्माण, मौजूदा 11 किलोवोल्ट लाइनों का संवर्धन, नई एल.टी. लाइन का निर्माण, नए सब-स्टेशन के निर्माण शामिल थे, विभिन्न ठेकेदारों[12] को जारी किए गए थे (मार्च 2017 से मार्च 2018 के दौरान)।

---

9 ₹ 741.790/मीटर की दर पर पीडी दर + ₹ 54.82 (7.39 प्रतिशत की दर पर प्रीमियम) + ₹ 143.39 (₹ 796.61 पर वस्तु एवं सेवा कर 18 प्रतिशत) = ₹ 940/ मीटर।

10 ₹ 814 + ₹ 146.52 (₹ 814 पर वस्तु एवं सेवा कर 18 प्रतिशत)+ उपरिव्यय ₹ 100.85 (₹ 960.52 का 10.5 प्रतिशत) + प्रीमियम ₹ 78.43 (₹ 1,061.37 पर 7.39 प्रतिशत) = ₹ 1,139.80 प्रति मीटर।

11 ₹ 1,139.80 प्रति मीटर - ₹ 940 प्रति मीटर = 199.8/मीटर X 48.968 किलोमीटर।

12 सिरसा जिला (टी.ई.डी.-240)- मैसर्ज रिद्धी सिद्धि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी भिवानी (ई.ओ.आई.-05) - मैसर्ज इलेक्ट्रिकल सेल्स कार्पोरेशन, गुरुग्राम, मैसर्ज नेत राम मणि राम इलेक्ट्रिकल कंपनी, हनुमानगढ़ तथा मैसर्ज सरदाना इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल स्टोर, तोशाम।

ठेकेदारों ने वित्तीय संकट का हवाला देते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड से अनुरोध किया (नवंबर 2018 और फरवरी 2019) कि वह एल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड (ए.सी.एस.आर.) कंडक्टर, डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर, प्लेन सीमेंट कंक्रीट (पी.सी.सी.) पोल, मीटर कवर बॉक्स, गैंग ऑपरेटेड (जी.ओ.) स्विच, पावर ट्रांसफार्मर (सब-स्टेशन के लिए), 11 किलोवोल्ट 8 पैनल बोर्ड, जैसी सामग्री प्रदान करे जो उन्हें अन्यथा आबंटित कार्यों के संबंध में खरीदना और स्थापित करना/लगाना अपेक्षित था। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने परियोजनाओं के हित में, भंडार में उपलब्धता और अंतरीय लागत की वसूली, यदि कोई लागू हो, के अधीन ठेकेदारों को सामग्री आबंटित करने का निर्णय लिया (फरवरी 2019)।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने अनुदान का दावा करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में पी.डी. दरों[13] पर स्वयं जारी सामग्री की लागत दर्ज की थी, किंतु चार ठेकेदारों से ₹ 37.83 लाख की अंतरीय लागत वसूल नहीं की गई थी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा स्टोर से सामग्री जारी करने के लिए सहमत होने पर लिए गए निर्णय के अनुसार अंतरीय लागत वसूली योग्य थी, वसूली न होना ठेकेदारों को अनुचित लाभ देना था तथा वितरण कंपनियों के लिए हानि थी।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2022) कि कंपनी पर कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि सभी परियोजनाओं के मामले में ऋणात्मक अंतर राशि (लगभग ₹ एक करोड़) धनात्मक अंतर राशि (लगभग ₹ 76 लाख) से अधिक थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ठेकेदारों को सामग्री की आपूर्ति इस शर्त के साथ की गई थी कि अंतरीय लागत की वसूली की जाएगी और इन परियोजनाओं (सिरसा और भिवानी) के मामले में वसूली योग्य राशि धनात्मक और ऋणात्मक अंतरीय लागत की निवल थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, अपर मुख्य सचिव (विद्युत), हरियाणा ने वितरण कंपनियों के अधिकारियों को ऐसे मामलों में लागत पत्र तैयार करने और प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

2.1.8 वितरण ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा के लिए वितरण बक्सों की स्थापना और रखरखाव न करना

बोली दस्तावेज में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार, ट्रांसफार्मर क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिए वितरण बॉक्स की स्थापना का प्रावधान था, जिससे ट्रांसफार्मर और फीडर को ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान की जा सके ताकि बिजली आपूर्ति में न्यूनतम रुकावट हो।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित 11 परियोजनाओं (11 जिलों[14] में) की क्लोजर रिपोर्ट की समीक्षा से पता चला कि छः[15] जिलों में विभिन्न क्षमताओं[16] के 311 (संवर्धन सहित) वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए थे।

---

13 प्राक्कलनों को तैयार करने के लिए उपयोग की गई दरों में आकस्मिकताओं, स्थापना, परिवहन, ब्याज और वित्त लागत आदि के कारण खरीद मूल्य और उपरिव्यय शामिल हैं।

14 हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, जींद, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी।

15 फतेहाबाद, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और सिरसा।

16 25 के.वी.ए./63 के.वी.ए./100 के.वी.ए.।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 135 वितरण ट्रांसफार्मरों (311 वितरण ट्रांसफार्मर में से) के मामले में वितरण बॉक्स स्थापित नहीं किए गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि बोली दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से निर्धारित होने के बावजूद कार्य आदेशों में इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। सिरसा जिले में 83 प्रतिशत वितरण ट्रांसफार्मर वितरण बॉक्स के बिना स्थापित किए गए थे। ये वितरण बॉक्स वितरण ट्रांसफार्मरों को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए थे। पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के दिशा-निर्देशों का पालन न करने के अलावा ₹ 1.60 करोड़ मूल्य के वितरण ट्रांसफार्मरों को क्षतिग्रस्त होने का जोखिम था।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में परिचालन परिमंडल रोहतक और झज्जर के अंतर्गत यह देखा गया था कि रोहतक और झज्जर के सात गांवों[17] में स्थापित 12 (17 में से) तथा 6 (8 में से) वितरण बॉक्स (70 से 75 प्रतिशत) क्षतिग्रस्त पाए गए थे और परिणामस्वरूप बाईपास किए गए थे। अतः क्षतिग्रस्त वितरण बॉक्सों के उचित रखरखाव/मरम्मत के अभाव में इन वितरण बॉक्सों पर किए गए ₹ 110.04 लाख (रोहतक - ₹ 82.81 लाख[18] एवं झज्जर - ₹ 27.23 लाख[19]) के कुल व्यय का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाया। इसके अलावा, वितरण ट्रांसफार्मर और फीडरों के संरक्षण के अभाव में उनके क्षतिग्रस्त होने का जोखिम था।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2022) कि सभी क्षतिग्रस्त लो-टेंशन वितरण बॉक्सों को ठीक करने/बदलने के लिए तथा यदि सामग्री वारंटी के अंतर्गत थी तो ठेकेदारों से राशि वसूल करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए थे। तथापि, इसके अनुपालन के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी निर्देशों की प्रति लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित थी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2022) कि वितरण ट्रांसफार्मर संवर्द्धन के कार्यों में वितरण बॉक्स प्रदान नहीं किया गया था क्योंकि मौजूदा वितरण ट्रांसफार्मर संरचनाओं में पहले से ही लो-टेंशन फ्यूज इकाइयां थी जिनका उपयोग अधिभार के विरुद्ध सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कंपनी द्वारा मानक बोली दस्तावेज के अनुसार योजना के तकनीकी विनिर्देश का पालन नहीं किया गया था।

2.1.9 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा इंगित टिप्पणियों/विसंगतियों के अनुपालन में देरी के परिणामस्वरूप अनुदान की तीसरी किस्त की प्राप्ति न होने के कारण ब्याज की हानि हुई

जनवरी 2018 में, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने सूचित किया कि वितरण कंपनियों के साथ अव्ययित शेष राशि को कम करने और कुशल निधि प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की नई परियोजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों[20] की प्राप्ति के

---

17 चुल्लियाना, इस्माइला 9बी, गढ़ी सांपला, मोरखेड़ी, कहानौर, तिमारपुर (रोहतक) और इस्लामगढ़ (झज्जर)।

18 19 63 के.वी.ए. X ₹ 27,506 + 222 100 के.वी.ए. X ₹ 29,259 = 70,18,112 + 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर।

19 19 63 के.वी.ए. X ₹ 27,506 + 61 100 के.वी.ए. X ₹ 29,259 = 23,07,413 + 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर।

20 जारी किए गए अनुदान के 90 प्रतिशत का उपयोग, ऋण घटक की स्वीकृति/उपयोग, आर.ई.सी. निरीक्षण एजेंसी द्वारा अवलोकित गुणवत्ता दोषों का सुधार, यदि कोई हो, आदि।

अधीन तीसरी किस्त (अनुदान का 60 प्रतिशत) दो बराबर भागों (अनुदान के 30 प्रतिशत की दर से भाग-1 और अनुदान के 30 प्रतिशत की दर से भाग-2) में जारी की जाएगी।

गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम गुणवत्ता मॉनिटरों (आर.क्यू.एम.) का चरण-I निरीक्षण तब शुरू होना चाहिए था जब गहन विद्युतीकरण (आई.ई.) के अंतर्गत 30 प्रतिशत गांवों को सभी प्रकार से पूरा कर लिया गया हो। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम गुणवत्ता मॉनिटरों का चरण-II निरीक्षण परियोजना में शुरू और समाप्त होना चाहिए था जब 70 प्रतिशत गहन विद्युतीकरण गांवों को सभी प्रकार से पूरा किया गया हो। तथापि, फरवरी 2019 तक, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में चरण-I ग्रामीण विद्युतीकरण निगम गुणवत्ता मॉनिटर निरीक्षण के लिए अपेक्षित 486 गांवों (1619 का 30 प्रतिशत) की अपेक्षा के विरूद्ध केवल 170 गांवों में कार्य पूरा किया गया था। आठ नए सब-स्टेशनों के निर्माण से संबंधित कार्य भी फरवरी 2019 तक अधूरा था। अक्तूबर 2020 तक, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम गुणवत्ता मॉनिटर द्वारा परियोजनावार देखी गई 569[21] कमियों का समाधान किया जाना बाकी था।

इस प्रकार, लंबित दोषों के समाधान और क्लोजर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में देरी के कारण, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तीसरी किस्त (भाग I और II) के संबंध में देय ₹ 54.96 करोड़ के विरूद्ध केवल ₹ 17.82 करोड़ प्राप्त कर सका। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने इन कार्यों को स्वयं के स्रोतों/उधार ली गई निधियों से किया था और इसे अपने दायित्व को पूरा करने के लिए उपयोग की गई बैंक सीमा पर ₹ 3.47 करोड़[22] (14 माह, अप्रैल 2020 -मई 2021 के लिए गणना) के ब्याज का भुगतान करना था। यदि लंबित दोषों का समाधान तत्काल किया गया होता, तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान पहले प्राप्त हो सकता था और ₹ 3.47 करोड़ के ब्याज के भुगतान से बचा जा सकता था।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2022) कि सभी दोषों को दूर कर लिया गया था और अनुदान की प्राप्ति में कोई विलंब नहीं हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मार्च 2020 तक परियोजनाओं को पूरा करने के बावजूद तीसरी किस्त जून 2021 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा इंगित टिप्पणियों/विसंगतियों के अनुपालन में देरी के कारण प्राप्त हुई थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, अपर मुख्य सचिव (विद्युत), हरियाणा ने निर्देश दिया कि वितरण कंपनियों को बेहतर प्रबंधन मॉड्यूल की आवश्यकता है ताकि दोषों को एक साथ इंगित किया जा सके। इसके अलावा, अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि भविष्य में, दावों को दर्ज करने में वित्तीय वर्ष से अधिक देरी नहीं होनी चाहिए और देरी से बचने के लिए दावा परियोजनावार दर्ज किया जाना चाहिए।

---

21 अंबाला (12), झज्जर (266), करनाल (81), पानीपत (117), रोहतक (10), सोनीपत (60) और यमुनानगर (23)

22 ₹ 54.96 - ₹ 17.82 = ₹ 37.14 X 8 प्रतिशत = ₹ 2.97 x 14= ₹ 3.47 करोड़।

2.1.10 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, हिसार परियोजना में अवमानक सामग्री का प्रयोग

मानक बोली दस्तावेज (गुणवत्ता आश्वासन एवं मूल्यांकन तंत्र) में प्रावधान है कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.) पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साइट पर आपूर्ति की गई सामग्रियों/उपकरणों की गुणवत्ता और क्षेत्र में किए गए कार्यों का निष्पादन विनिर्माण गुणवत्ता योजना (एम.क्यू.पी.)/गारंटीकृत तकनीकी विवरण (जी.टी.पी.) तथा फील्ड गुणवत्ता योजना (एफ.क्यू.पी.)/अनुमोदित आरेखण के अनुसार था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि हिसार जिले के विद्युतीकरण का कार्य ठेकेदार[23] को ₹ 18.92 करोड़ की कुल लागत पर सौंपा गया था (जनवरी 2017)। कार्य के दायरे में मौजूदा लो-टेंशन (एल.टी.) ओवरहेड लाइनों को एरियल बंच्ड (ए.बी.) केबल में बदलना भी शामिल है। कार्यादेश के अनुसार लो-टेंशन एरियल बंच्ड केबल का कुल 315.819 सर्किट किलोमीटर (सी.के.एम.) ठेकेदार द्वारा प्रदान किया जाना था जो कि फुट सर्वेक्षण के बाद 515 सर्किट किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि 515 सर्किट किलोमीटर की कुल आवश्यक मात्रा के विरूद्ध ठेकेदार ने रेलेमैक या कलिंग मेक की 310 सर्किट किलोमीटर केबल की आपूर्ति की थी।

परियोजना के निष्पादन के दौरान, ठेकेदार को अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में लिप्त पाया गया। ठेकेदार ने वास्तविक आपूर्ति की गई सामग्री के प्रति अधिक भुगतान लिया और परिणामस्वरूप अनुबंध समाप्त कर दिया गया (23 फरवरी 2018)। मामला आर्बिट्रेटर के पास विचाराधीन था।

अनुबंध की समाप्ति के बाद, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने ठेकेदार द्वारा पहले से आपूर्ति की गई और लगाई गई केबलों का स्वीकृति परीक्षण किया। परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार ₹ 9.06 करोड़ मूल्य के रिलेमैक मेक (297 सर्किट किलोमीटर) की केबल अपेक्षित विनिर्देशों के अनुरूप नहीं थी और परीक्षण तथा अंशांकन प्रयोगशालाओं (एन.ए.बी.एल.) के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा दोषपूर्ण/उप-मानक घोषित की गई थी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने इसे बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और परिणामस्वरूप 297 सर्किट किलोमीटर की दोषपूर्ण केबल अभी भी उपयोग में है। खराब केबल को न बदलकर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने सुरक्षा मानकों से समझौता किया।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2022) कि फर्म ने विनिर्देशों के लिए केबल की पुष्टि न करने पर विवाद किया है और मामला आर्बिट्रेटरों के समक्ष निर्णय के अधीन है और ऐसी परिस्थितियों में, निम्न मानक केबलों को विभागीय रूप से बदलना उचित नहीं होता। इसलिए प्रबंधन ने पुष्टि की कि अवमानक केबल अभी भी उपयोग में हैं।

---

[23] मैसर्ज दुहन इलेक्ट्रिकल वर्क्स, हिसार।

2.1.11 निष्कर्ष और सिफारिशें

- सभी 21 परियोजनाओं के कार्यों को विलंब से प्रदान किया गया। ये परियोजनाएं भी पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं कर सकीं, जिसका श्रेय ठेकेदारों के पास धन की कमी और दोषों के सुधार में देरी को दिया गया।
- समयबद्ध प्रदानगी और योजना को पूरा करने के संबंध में निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में विफलता और विद्युत मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रक्षेप-पथ के अनुसार कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी न होने के कारण, दो वितरण कंपनियों को ₹ 36.93 करोड़ की अतिरिक्त अनुदान राशि प्राप्त करने का अवसर खोने की संभावना है।
- लंबित दोषों के अनुपालन और क्लोजर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में देरी के कारण, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को तीसरी किस्त के संबंध में देय ₹ 54.96 करोड़ के विरूद्ध केवल ₹ 17.82 करोड़ का अनुदान प्राप्त हो सका, जिसने इसके वित्तीय प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था क्योंकि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने इसे उधार ली गई निधियों से पूरा किया था।

यह सिफारिश की जाती है कि वितरण कंपनियों को समय सारिणी के अंदर कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता है ताकि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत इच्छित लाभ प्राप्त किया जा सके और अधिकतम अनुदान अर्थात योजना में उपलब्ध 75 प्रतिशत प्राप्त करने के लिए योजना के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

2.2 स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटर की अपर्याप्तता

पर्याप्त स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटर की स्थापना न करने और रखरखाव के कारण कंपनी को 2016-17 से 2020-21 के दौरान ₹ 40.98 करोड़ के रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार का भुगतान करना पड़ा।

स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटर (ए.पी.एफ.सी.) एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत प्रवाह और वोल्टेज को विनियमित करके पावर फैक्टर[24] में सुधार करता है। वोल्टेज सामान्य से कम होने की स्थिति में, पर्याप्त कैपेसिटर बैंक[25], यदि सिस्टम में उपलब्ध कराए जाते हैं, तो वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार होता है और ऊर्जा का अपव्यय कम होता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड सबसे सुरक्षित, विश्वसनीय, मितव्ययी और कुशल तरीके से बिजली व्यवस्था की योजना, विकास, रखरखाव और संचालन करने के लिए सिस्टम में प्रतिभागियों की तलाश करता है। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2012 के विनियम 48 में प्रावधान है कि 'रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार वितरण लाइसेंसधारी (अर्थात दक्षिण हरियाणा

24 प्रत्यावर्ती धारा विद्युत शक्ति प्रणाली के शक्ति कारक को सर्किट में प्रवाहित होने वाली स्पष्ट शक्ति के भार द्वारा अवशोषित वास्तविक शक्ति के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।

25 एक कैपेसिटर बैंक कई कैपेसिटर का एक भौतिक समूह है जो सामान्य विनिर्देशों के होते हैं।

बिजली वितरण निगम लिमिटेड और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड) द्वारा प्रसारण लाइसेंसधारी (अर्थात हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड) को हरियाणा ग्रिड कोड - रिएक्टिव ऊर्जा विनिमय के भुगतान की योजना के विनियम 5.5.1 के निबंधन में देय थी। वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा इस प्रकार भुगतान किए गए रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं के माध्यम से वसूली योग्य नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2016-2017 से 2020-21 के दौरान कंपनी द्वारा स्थापित कैपेसिटरों की संख्या में आवश्यकताओं की तुलना में लगातार कमी थी। **तालिका 2.7** पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा कैपेसिटरों, दोषपूर्ण कैपेसिटरों की वर्षवार कमी और भुगतान किए गए रिएक्टिव ऊर्जा मुआवजे को दर्शाती है।

तालिका 2.7: 2016-17 से 2020-21 के दौरान स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटरों और भुगतान किए गए रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों के विवरण

वर्ष	वर्ष के दौरान अपेक्षित नए कैपेसिटर	मरम्मत किए गए खराब कैपेसिटर	पुनरुद्धार की आवश्यकता वाले निवल दोषपूर्ण कैपेसिटर	भुगतान किए गए रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार
	(एम.वी.ए.आर.[26] में)			(₹ करोड़ में)
2016-17	285.920	शून्य	185.889	7.81
2017-18	116.430	36.60	136.827	7.95
2018-19	103.730	13.80	171.187	9.64
2019-20	200.030	19.00	208.767	11.31
2020-21	301.230	शून्य	260.762	4.27
कुल		**69.40**		**40.98**

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी

2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान नए कैपेसिटर बैंकों की आवश्यकता 103.730 मेगावोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव (एम.वी.ए.आर.) से 301.230 तक थी। पुनरूद्धार की आवश्यकता वाले निवल दोषपूर्ण कैपेसिटरों में भी 2017-18 से लगातार वृद्धि हुई और 260.762 एम.वी.ए.आर. क्षमता के कैपेसिटर 31 मार्च 2021 तक दोषपूर्ण थे।

कंपनी ने 2016-17 और 2017-18 के दौरान ₹ 17.47 करोड़ की लागत से 298.80 एम.वी.ए.आर. के कैपेसिटर जोड़े और उसके बाद मार्च 2021 तक कोई कैपेसिटर नहीं जोड़ा गया। इसी दौरान, कंपनी दोषपूर्ण कैपेसिटरों की मरम्मत करने में विफल रही और 2016-17 से 2020-21 के दौरान केवल 69.40 एम.वी.ए.आर. कैपेसिटरों की मरम्मत की गई थी।

इस प्रकार, अपर्याप्त/दोषपूर्ण कैपेसिटर बैंकों के कारण, कंपनी को 2016-17 से 2020-21 के दौरान ₹ 40.98 करोड़ के रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार का भुगतान करना पड़ा। यदि कंपनी ने नए कैपेसिटर लगाकर और मौजूदा क्षतिग्रस्त कैपेसिटरों की मरम्मत करके पर्याप्त कैपेसिटर जोड़े होते, तो कंपनी रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार को कम कर सकती थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (मई 2022), अपर मुख्य सचिव (विद्युत) ने पुष्टि की कि यदि कार्यशील कैपेसिटर स्थापित किए गए होते, तो रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार के भुगतान से बचा जा सकता था।

[26] एम.वी.ए.आर. का अर्थ रिएक्टिव ऊर्जा का मेगावोल्ट एम्पीयर है।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों के भुगतान से बचने के लिए पर्याप्त स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटरों की खरीद और स्थापना के साथ-साथ क्षतिग्रस्त कैपेसिटरों की मरम्मत के लिए कार्रवाई करे।

मामला सरकार और कंपनी के पास भेजा गया था (फरवरी 2022); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2022)।

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

2.3 220 किलोवोल्ट सब-स्टेशन के निर्माण पर निष्फल व्यय

कंपनी ने भूमि अधिग्रहण पर न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना सब-स्टेशन के निर्माण का कार्य प्रदान एवं निष्पादित किया जिसके परिणामस्वरूप निष्क्रिय सब-स्टेशन उपकरणों पर ₹ 12.76 करोड़ का निष्फल व्यय तथा ₹ 9.47 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.) ने 220 किलोवोल्ट सब-स्टेशन और अन्य उपयोगिताओं की स्थापना के लिए ₹ 1.55 करोड़ प्रति एकड़ की लागत से ग्राम शिकोहपुर, तहसील और जिला गुरुग्राम में 15.52 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया (जुलाई 2013)। इसमें से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (कंपनी) को सेक्टर-77, गुरुग्राम में 220 किलोवोल्ट सब-स्टेशन स्थापित करने के लिए 12 एकड़ जमीन आबंटित की (दिसंबर 2013) जिसे बाद में संशोधित कर (मई 2017) 11.20 एकड़ कर दिया गया था। इस बीच, कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों ने 2X100 मेगावोल्ट एम्पीयर, 220/33 किलोवोल्ट ट्रांसफार्मर की स्थापित क्षमता के साथ संबद्ध प्रसारण लाइनों सहित सेक्टर-77, गुरुग्राम में 220 किलोवोल्ट सब-स्टेशन के निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी (नवंबर 2013)। परियोजना की लागत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के मध्य हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के स्थायी निर्देशों (फरवरी 2007) के अनुसार 50:50 के अनुपात में साझा की जानी थी।

जनवरी 2015 में, भूमि मालिकों ने अपर जिला न्यायाधीश, गुरुग्राम के न्यायालय में भूमि के लिए वृद्धित मुआवजे हेतु मुकदमा दायर किया। कंपनी ने न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना सब-स्टेशन के निर्माण का कार्य ठेकेदार[27] को ₹ 58.24 करोड़ में सौंप दिया (मई 2017)। तथापि, कंपनी के फील्ड कार्यालय ने प्रारंभिक सर्वेक्षण में भूस्वामियों द्वारा उत्पन्न की गई कठिनाइयों और किसानों द्वारा इस भूमि पर खेती करते हुए देखा गया (जुलाई 2014/अक्तूबर 2017)।

जुलाई 2019 में, सक्षम न्यायालय ने भूमि मालिकों के पक्ष में मुआवजे के मामले का फैसला करते हुए, अन्य वैधानिक लाभों के साथ भूमि अधिग्रहण की दर ₹ 1.55 करोड़ प्रति एकड़ से बढ़ाकर ₹ 18.38 करोड़ प्रति एकड़ कर दी। न्यायालय द्वारा दिए गए उच्च मुआवजे के कारण, शहरी संपदा विभाग ने नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की

27 मैसर्ज कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, नोएडा।

कार्यवाही को छोड़ने और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार' की धारा 101 ए के अंतर्गत भूमि की अधिसूचना को रद्द करने का निर्णय लिया (नवंबर 2019)। यह बताता है कि जब कोई सार्वजनिक उद्देश्य, जिसके लिए अर्जित की गई भूमि अव्यवहार्य या गैर-जरूरी हो जाती है, तो राज्य सरकार ऐसी शर्तों पर ऐसी भूमि की अधिसूचना को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी जो राज्य सरकार द्वारा योग्य मानी जाती है, इस तरह के अधिग्रहण के कारण भूमि मालिक को हुए नुकसान, यदि कोई हो, के कारण मुआवजे का भुगतान शामिल है।

उस समय (नवंबर 2019) तक, कंपनी ने पहले ही ₹ 59.80 करोड़ की राशि का कार्य पूरा कर लिया था, जिसमें से ₹ 12.47 करोड़ सिविल और निर्माण कार्यों के संबंध में था। कंपनी ने बुनियादी ढांचे को दूसरे स्थान पर सेक्टर-75ए, गुरुग्राम में स्थानांतरित करने और ₹ 28.69 लाख की अतिरिक्त अनुमानित लागत पर पहले से निर्मित सब-स्टेशन के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का निर्णय लिया (जनवरी 2020)। राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया (जनवरी 2020) कि नए सब-स्टेशन के विघटन और निर्माण की लागत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और कंपनी के मध्य 50:50 के अनुपात में साझा की जाएगी। कंपनी ने सेक्टर 77, गुरुग्राम में 220 किलोवोल्ट सब-स्टेशन को तोड़ने और सेक्टर 75-ए गुरुग्राम में 220 किलोवोल्ट सब-स्टेशन के निर्माण के लिए टर्न-की आधार पर विघटित उपकरण सामग्री का उपयोग करके ई-निविदा आमंत्रित करने के लिए अक्तूबर 2021 में नोटिस जारी किया। निविदा आमंत्रण सूचना का परिणाम प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

अधिगृहीत भूमि की अधिसूचना को रद्द करने के लिए दिनांक 14 सितंबर 2018 की अधिसूचना में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार, यदि अधिग्रहण करने वाले विभाग की राय है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत अधिगृहीत भूमि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अव्यवहार्य या आवश्यक नहीं है जिसके लिए इसे अधिगृहीत किया गया है और इसे अधिग्रहण से डिनोटिफाइड किया जाना चाहिए, यह सरकार को अपनी राय के बारे में सूचित करेगा और सरकार से अनुमोदन मांगेगा। प्रारंभिक जांच के बाद अधिग्रहण करने वाले विभाग की राय संबंधित जिला स्तरीय उप-समिति को इसकी प्राप्ति के एक महीने के भीतर भेजी जाएगी। जिला स्तरीय उप-समिति मामले की जांच करने के बाद अपनी सिफारिश करेगी और कारण बताएगी कि विचार के लिए संदर्भित अधिग्रहण करने वाले विभाग की राय स्वीकार करने योग्य है या नहीं। जिला स्तरीय उप-समिति अधिग्रहण करने वाले विभाग के प्रशासनिक सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जो सरकार की स्वीकृति के बाद मामले को मंत्रिस्तरीय उप-समिति के समक्ष रखेगा। मंत्रिस्तरीय उप-समिति की रिपोर्ट कैबिनेट द्वारा निर्णय के लिए प्रस्तुत की जाएगी, जो अधिसूचना को रद्द की अनुमति दे सकती है। तथापि यह देखा गया था कि राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद भी मामला अब तक जिला स्तरीय उप-समिति/मंत्रिस्तरीय उप-समिति के पास नहीं भेजा गया है और कैबिनेट समिति का कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।

यह भी देखा गया था कि न तो कंपनी और न ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अधिगृहीत भूमि की अधिसूचना को रद्द करने की सिफारिश की और शहरी संपदा विभाग (हरियाणा में भूमि

के अधिग्रहण की प्रक्रिया करने वाला प्राधिकरण) द्वारा अधिसूचना रद्द करने का निर्णय लिया गया। तथापि, शहरी संपदा विभाग दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इसे गैर-अधिसूचित करने के अपने तार्किक निष्कर्ष तक इसका पालन नहीं किया। आगे, शहरी संपदा विभाग द्वारा क्षेत्रीय प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गुरुग्राम को ड्राफ्ट डी-नोटिफिकेशन आदेश जारी करने के आदेश (22 नवंबर 2019) को उच्च न्यायालय द्वारा भूमि मालिक द्वारा दायर याचिका पर रोक दिया गया है (दिसंबर 2021)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि भूस्वामियों द्वारा दायर वृद्धित भू-मुआवज़े के मुकदमे और जुलाई 2014/अक्तूबर 2017 में भूस्वामियों द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं के बारे में जानने के बावजूद, कंपनी ने सब-स्टेशन का कार्य सौंप दिया और उसके बाद विवादित भूमि पर कार्य नहीं रोका।

परिणामस्वरूप, सिविल कार्यों और इसके विघटन पर ₹ 12.76 करोड़ (₹ 12.47 करोड़ + ₹ 0.29 करोड़) का व्यय व्यर्थ साबित हुआ। सब-स्टेशन के लिए ₹ 47.33 करोड़ के आपूर्ति किए गए उपकरणों की लागत भी बेकार निवेश थी और इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.47 करोड़ (10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गणना की गई) के ब्याज की हानि हुई। आगे, सब-स्टेशन का निर्माण न होने के कारण निवासी सब-स्टेशन के निर्माण से मिलने वाले लाभों से वंचित रह गए।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (मई 2022), अपर मुख्य सचिव (विद्युत) ने बताया कि अधिसूचना रद्द करने के मुद्दे पर रोक अधिग्रहण करने वाले विभाग और भूस्वामियों के बीच का मामला था और सब-स्टेशन को जल्द से जल्द तोड़ा जाना था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि राज्य सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण छोड़ दिया गया था। न्यायालय के फैसले के आधार पर वित्तीय नतीजों को ध्यान में रखते हुए शीर्ष प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया था, जो बाद में सामने आया। निर्णय, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और राज्य द्वारा लिया गया था जिनके पास हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने का अधिकार है और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की अधिग्रहण कार्यवाही में कोई भागीदारी नहीं थी। तथ्य है कि भूमि की विवादित स्थिति से अवगत होने के बावजूद कंपनी ने सब-स्टेशन के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया। कंपनी को विकल्पों (कार्य स्थल/स्थान सहित) की तलाश करनी चाहिए थी या यदि यह आकलन था कि न्यायिक घोषणा का उनके बुनियादी ढांचे के विकास और उपयोग पर प्रभाव पड़ेगा, सब-स्टेशन के निर्माण से पहले मुकदमे के परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी।

अध्याय 3

उद्योग और वाणिज्य

अध्याय 3

उद्योग और वाणिज्य

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

3.1 विस्तार फीस में अनुचित कमी

कंपनी ने भवन निर्माण के लिए अनुमत समय अवधि से अधिक विस्तार देकर ₹ 57.77 करोड़ से अधिक का अनुचित लाभ दिया।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) ने प्लॉट की बिक्री के लिए कंपनी द्वारा जारी प्रस्ताव हेतु अनुरोध के विरूद्ध नीलामी (अप्रैल 2010) के माध्यम से एक आबंटी[1] को सेक्टर 16, गुरुग्राम में 12.88 एकड़ (संशोधित 12.20 एकड़) का व्यावसायिक प्लॉट ₹ 587.56 करोड़ में आबंटित किया (11 जून 2010)।

आबंटन/प्रस्ताव हेतु अनुरोध के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, आबंटी को आबंटन की तिथि से पांच वर्षों के भीतर निर्माण पूर्ण करना अपेक्षित था। लागू विस्तार फीस के भुगतान पर निर्माण पूर्ण करने की समय अवधि को दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था। प्रस्ताव हेतु अनुरोध के किसी भी निबंधन एवं शर्त की चूक या उल्लंघन होने पर परियोजना साइट को पुनरारंभ[2] किया जाना था। कंपनी की संपदा प्रबंधन प्रक्रिया, 2015 की धारा 18.6 (i)(बी) निर्धारित करती है कि प्रस्ताव हेतु अनुरोधों के आधार पर नीलाम की गई साइटें संबंधित नीलामी के निबंधन एवं शर्तों द्वारा शासित होंगी और संपदा प्रबंधन प्रक्रिया की धारा 18.6 (ए) में प्रदान की गई पांच वर्षों की विस्तार अवधि ऐसी साइटों के लिए लागू नहीं होगी।

कंपनी के निदेशक मंडल ने उन सभी आबंटियों को एक वर्ष का सामान्य विस्तार प्रदान किया (अक्तूबर 2020), जिनकी परियोजना कार्यान्वयन/पूर्णता के लिए निर्धारित/विस्तारित अवधि कोविड-19 महामारी के कारण किसी विस्तार फीस के बिना 31 दिसंबर 2019 के बाद समाप्त हो चुकी थी।

आबंटी पांच वर्षों की निर्धारित अवधि के भीतर अर्थात 10 जून 2015 तक निर्माण को पूर्ण करने में विफल रहा और कंपनी ने प्रस्ताव हेतु अनुरोध की धारा 5.4 के अनुसार लागू विस्तार फीस के भुगतान पर 10 जून 2017 तक दो वर्ष का विस्तार प्रदान किया। 10 जून 2017 तक परियोजना के पूर्ण न होने पर, कंपनी ने आबंटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया (जनवरी 2018)। आबंटी ने प्लॉट के पुनरारंभ के नोटिस के विरुद्ध यह कहते हुए प्रतिनिधित्व किया (जनवरी 2018) कि उनकी परियोजना को अब ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (जी.आर.आई.एच.ए.) द्वारा पूर्व-प्रमाणित किया गया था और परियोजना में 90 प्रतिशत से अधिक भवन पूरा हो चुका था। उन्होंने दो साल और बढ़ाने की मांग की। कंपनी ने भवन में ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट मानदंडों को अपनाने और

---

[1] मैसर्ज ब्रह्मा सेंटर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली।

[2] प्लॉट की बहाली के मामले में, आबंटी जमा की गई राशि की वापसी का हकदार होगा, बशर्ते कि बोली राशि के 15 प्रतिशत के बराबर राशि को जब्त कर लिया जाए।

आबंटी द्वारा लागू विस्तार फीस के भुगतान का संदर्भ देते हुए निर्माण पूरा करने के लिए दो वर्ष का विस्तार (10 जून 2019 तक) प्रदान किया (मार्च 2018)। परियोजना को पूर्ण करने की समयावधि में दो वर्ष का विस्तार प्रदान करना अनियमित था क्योंकि (i) यह संपदा प्रबंधन प्रक्रिया (पैराग्राफ 18.6 (i)(बी)) के प्रावधानों से बाहर थी; और (ii) ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट के अंतर्गत प्रमाणन वैकल्पिक था तथा इसमें ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट रेटिंग के अनुसार तीन प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक एक स्टार से पांच स्टार तक अतिरिक्त फर्श क्षेत्र अनुपात शामिल था। इसके अलावा, विस्तार प्रदान करने से पहले 90 प्रतिशत से अधिक संरचनाओं के निर्माण को पूरा करने के आबंटी के दावों का कंपनी द्वारा सत्यापन अभिलेख में नहीं था। कंपनी ने 11 जून 2017 से 10 जून 2018 की अवधि के लिए ₹ 60 प्रति वर्ग मीटर तथा 11 जून 2018 से 10 जून 2019 की अवधि के लिए ₹ 100 प्रति वर्ग मीटर संपदा प्रबंधन प्रक्रिया की धारा 18.7 से लागू विस्तार फीस प्राप्त की।

10 जून 2019 को विस्तार अवधि समाप्त होने पर, आबंटी ने कार्य पूर्ण करने के लिए अनुमत समय अवधि में विस्तार हेतु पुनःअनुरोध किया (जून 2019, मार्च 2020 और जुलाई 2020)। निदेशक मंडल ने ₹ 100 प्रति वर्ग मीटर (10 जून 2019 से 9 जून 2020 तक) की दर पर और तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष के लिए आबंटन मूल्य के पांच प्रतिशत की दर पर विस्तार फीस के भुगतान के अधीन जून 2022 तक पूर्णता अवधि में विस्तार देने का निर्णय लिया (मार्च 2021)।

आबंटी की अपील पर निदेशक मंडल ने उद्ग्राह्य विस्तार फीस की राशि पर पुनर्विचार किया (जुलाई 2021) और इसे सभी आबंटियों को दी गई सामान्य विस्तार अवधि के रूप में मानते हुए 10 जून 2020 से 09 जून 2021 के लिए कोई विस्तार फीस नहीं लेने का निर्णय लिया और 10 जून 2021 से 09 जून 2022 के लिए ₹ 200 प्रति वर्ग मीटर की दर से विस्तार फीस प्रभारित की। इस प्रकार 10 जून 2019 से 09 जून 2022 की अवधि हेतु परिकल्पित विस्तार फीस ₹ 58.76 करोड़ से घटकर मात्र ₹ 0.99 करोड़ रह गई। प्रस्ताव हेतु अनुरोध के निबंधन एवं शर्तों से परे परियोजना को पूर्ण करने के लिए विस्तार देना, महत्वपूर्ण विस्तार फीस का उद्ग्रहण न करना आबंटी को ₹ 57.77 करोड़ से अधिक का लाभ प्रदान करने के समान था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (अप्रैल 2022) प्रबंधन ने बताया कि संपदा प्रबंधन प्रक्रिया-2015 के आधार पर प्रस्ताव हेतु अनुरोध में निर्धारित सात वर्ष की अवधि के बजाय पांच वर्ष के विस्तार की अनुमति दी गई थी। आगे यह बताया गया कि कंपनी के प्रबंध निदेशक ने संपदा प्रबंधन प्रक्रिया-2015 के अनुसार लागू विस्तार फीस पर आबंटी द्वारा भवन में ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट को शामिल करने के आधार पर मौखिक आदेश पारित करते हुए दो वर्ष का विस्तार (10 जून 2019 तक) प्रदान किया (मार्च 2018)। प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संपदा प्रबंधन प्रक्रिया के प्रावधान तात्कालिक मामले में लागू नहीं थे क्योंकि आबंटन, प्रस्ताव हेतु अनुरोध के अंतर्गत किया गया था तथा इस मामले में प्रस्ताव हेतु अनुरोध की निबंधन एवं शर्तें लागू थी। आगे, प्रबंध निदेशक कोई भी विस्तार प्रदान करने के लिए सक्षम नहीं थे।

मामला सरकार तथा कंपनी के पास भेजा गया था (जनवरी 2022); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अप्रैल 2022)।

सिफारिश: आबंटिती को अनुचित लाभ देने के लिए कंपनी को दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

3.2 जुर्माने का उद्ग्रहण न करना

कंपनी ने कंपनी की संपदा प्रबंधन प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार ₹ 13.27 करोड़ की फीस/जुर्माने के उद्ग्रहण के बिना परियोजना को पूर्ण घोषित करने में आबंटी को अनुचित लाभ पहुंचाया।

उच्च स्तरीय प्लॉट आबंटन समिति[3] के अनुमोदन (दिसंबर 2010) पर नामांकन के आधार पर प्रतिष्ठित श्रेणी[4] के अंतर्गत ₹ 60.02 करोड़ के निश्चित पूंजीगत निवेश के साथ औद्योगिक परियोजना स्थापित करने के लिए कंपनी ने औद्योगिक संपदा, कुंडली में आबंटी 'ए'[5] को ₹ 5,500 प्रति वर्ग मीटर की दर से 11,250 वर्ग मीटर का प्लॉट (संख्या 64) आबंटित किया (अप्रैल 2011)। कंपनी ने नामांकन के आधार पर ₹ 44.86 करोड़ के निश्चित पूंजीगत निवेश के साथ ₹ 7,000 प्रति वर्ग मीटर की दर से उसी औद्योगिक एस्टेट में समान सेट वाले प्रमोटरों के साथ अन्य आबंटी 'बी'[6] को 11,250 वर्ग मीटर का एक अन्य प्लॉट (नंबर 51) आबंटित किया (नवंबर 2012)। दोनों आबंटियों के शेयरधारक समान थे और दोनों प्लॉटों की पीछे की बाउंडरी साझा थी। कंपनी द्वारा अपनाए गए आबंटन तथा संपदा प्रबंधन प्रक्रिया के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, आबंटियों को कब्जे की पेशकश की तारीख से तीन वर्ष की प्रारंभिक अवधि के भीतर परियोजना (अर्थात वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत) को आंशिक रूप से पूर्ण करना अपेक्षित था। आगे, प्रत्येक मामले में ₹ 30 करोड़ के न्यूनतम बेंचमार्क निवेश के अधीन छः वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित निवेश के 75 प्रतिशत से अधिक के निश्चित पूंजीगत निवेश को प्राप्त करने पर परियोजना को पूर्ण माना जाना था। संपदा प्रबंधन प्रक्रिया, 2015 में निवेश मानदंडों को पूर्ण न करने के लिए वर्तमान आबंटन मूल्य के 15 से 35 प्रतिशत तक की फीस/जुर्माने[7] का प्रावधान है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 07 नवंबर 2013 के आदेश के अंतर्गत आबंटी 'बी' को आबंटी 'ए' के साथ मिला दिया गया। तत्पश्चात, आबंटी 'ए'[8] ने कंपनी से अनुरोध किया (मई 2014) कि दोनों प्लॉटों के भौतिक समामेलन का आदेश दिया जाए क्योंकि अब वे

---

3 वित्तीय आयुक्त एवं प्रधान सचिव उद्योग की अध्यक्षता में और प्रबंध निदेशक एच.एस.आई.आई.डी.सी., प्रबंध निदेशक हरियाणा वित्तीय निगम और निदेशक उद्योग हरियाणा सदस्य के रूप में गठित। समिति वृहद परियोजनाओं के अंतर्गत तथा प्रतिष्ठित परियोजना श्रेणियों के अंतर्गत प्लॉटों के आबंटन पर विचार करती है।

4 प्रतिष्ठित श्रेणी के अंतर्गत, आबंटी को ₹ 30 करोड़ और उससे अधिक का निश्चित पूंजीगत निवेश करना अपेक्षित था।

5 मैसर्ज के इंटरनेशनल लिमिटेड।

6 मैसर्ज बोबके पॉलीमर्स एंड इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड।

7 ई.एम.पी.-2015 निवेश की प्राप्ति के आधार पर वर्तमान आबंटन मूल्य के 15 से 35 प्रतिशत तक की फीस/जुर्माने का प्रावधान करता है।

8 मैसर्ज के इंटरनेशनल लिमिटेड।

एक ही इकाई से संबंधित हैं। कंपनी ने आबंटी 'ए' को यह बताते हुए अनंतिम मंजूरी दी (सितंबर 2014) कि समामेलित इकाई आबंटन/अनुबंध के सभी निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करेगी और मूल आबंटियों के साथ पहले से निष्पादित अनुबंध प्रस्तावित अंतरिती पर बाध्यकारी होंगे। सितंबर 2014 में कंपनी द्वारा संयुक्त जोनिंग योजना को मंजूरी दी गई थी। आबंटी 'ए' ने फरवरी 2015 (प्लॉट संख्या 64 पर) और जून 2018 (प्लॉट संख्या 51 पर) में दोनों प्लॉटों पर परियोजना को आंशिक रूप से पूर्ण किया।

बाद में, आबंटी 'ए' ने कंपनी से अपनी परियोजना की निश्चित निवेश लागत को ₹ 104.88 करोड़ से घटाकर ₹ 60.72 करोड़ (पहले प्लॉट के लिए: ₹ 30.08 करोड़ और दूसरे प्लॉट के लिए: ₹ 30.64 करोड़) करने का अनुरोध किया (अगस्त और सितंबर 2017), यह हवाला देते हुए कि आबंटन के समय उन्होंने आयातित मशीनरी के आधार पर पूंजीगत लागत का अनुमान लगाया लेकिन बाद में उद्योग में बहुत बदलाव हुआ जिसके परिणामस्वरूप परियोजना लागत में संशोधन हुआ।

कंपनी ने निवेश को ₹ 104.88 करोड़ से घटाकर ₹ 60.72 करोड़ करने का आदेश पारित किया (अक्तूबर 2017) और आगे दर्ज किया कि कंपनी ने दोनों आबंटियों के विलय की भी अनुमति दी थी। 02 सितंबर 2014 को कंपनी की मंजूरी के बाद दोनों प्लॉटों को मिला दिया गया था। इस प्रकार, दोनों प्लॉटों को एक ही प्रमोटर और एक ही परियोजना होने के कारण एक ही इकाई के रूप में जोड़ा गया था। आबंटी ने व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त किया (सितंबर 2014) और फरवरी 2015 में उत्पादन शुरू किया।

कंपनी ने दोनों प्लॉटों को एकल इकाई मानकर ₹ 60.69 करोड़ (प्रारंभिक और पूर्व-संचालन व्यय के कारण ₹ 2.56 करोड़ सहित) के कुल निवेश के आधार पर परियोजना पूर्णता प्रमाण-पत्र भी जारी किया (अप्रैल 2019) तथा आबंटन की शर्तों की अवहेलना करते हुए अनुमानित निवेश की प्राप्ति न होने पर किसी जुर्माने का उद्ग्रहण नहीं किया। इसलिए, आबंटी द्वारा किए गए ₹ 58.13 करोड़ के निवेश पर विचार करते हुए, जो प्रस्तावित निवेश (₹ 104.88 करोड़) का केवल 55.42 प्रतिशत है, संपदा प्रबंधन प्रक्रिया, 2015 के अनुसार जुर्माने की राशि ₹ 13.27 करोड़[9] बनती है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी द्वारा फीस/जुर्माने के उद्ग्रहण के बिना परियोजना पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करना उचित नहीं था क्योंकि कंपनी द्वारा आबंटित कंपनियों के समामेलन के लिए जारी अनंतिम अनुमोदन सशर्त था और अनंतिम अनुमोदन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, प्रस्तावित अंतरिती दो मूल आबंटियों के साथ पहले से निष्पादित अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों के साथ बाध्य था और कंपनी द्वारा कोई अंतिम अनुमोदन जारी नहीं किया गया था। आगे, कंपनी द्वारा संयुक्त जोनिंग योजना के अनुमोदन (02 सितंबर 2014) को परियोजना कार्यान्वयन उद्देश्य के लिए दोनों प्लॉटों के एकल इकाई के रूप में कार्रवाई के लिए

---

[9] प्लॉटों का 22,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल X ₹ 5,900 प्रति वर्ग मीटर (2018-19 के लिए ₹ 23,600 प्रति वर्ग मीटर के आबंटन मूल्य का 25 प्रतिशत होने के कारण)। प्रस्तावित निवेश के 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन प्रस्तावित निवेश के 75 प्रतिशत तक के निवेश के लिए वर्तमान आबंटन मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर फीस/जुर्माना उद्गृहीत किया जाना है।

अनुमोदन के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि जोनिंग योजना बहुत सीमित उद्देश्य अर्थात् भवन योजना तैयार करने के लिए जारी की जाती है।

प्रबंधन ने तर्क दिया (नवंबर 2020) कि कंपनी द्वारा संयुक्त जोनिंग योजना के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, दो प्लॉट सभी प्रयोजनों तथा मिलाए गए प्लॉटों पर एक परियोजना के कार्यान्वयन सहित उद्देश्यों के लिए एक प्लॉट बन जाते हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आबंटी कंपनियों का समामेलन सशर्त था और अनंतिम अनुमोदन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, प्रस्तावित अंतरिती आबंटी के साथ पहले से निष्पादित अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों के साथ बाध्य था और संयुक्त जोनिंग योजना के अनुमोदन को शामिल निवेश के लिए एक इकाई के रूप में दोनों प्लॉटों पर कार्रवाई के लिए अनुमोदन के रूप में नहीं माना जा सकता है। आगे, कंपनी के हाल के दिनाक 03 फरवरी 2021 के कार्यालय आदेश में निर्दिष्ट किया गया है कि प्लॉट की क्लबिंग आबंटन के निबंधन एवं शर्तों पर कोई लाभ लेने के लिए आबंटी को पात्र नहीं बनाएगी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (अप्रैल 2022), प्रबंधन ने बताया कि संपदा प्रबंधन प्रक्रिया के अनुसार, प्रस्तावित निवेश के 75 प्रतिशत से अधिक के न्यूनतम बेंचमार्क निवेश से ₹ 30 करोड़ के स्थिर पूंजीगत निवेश को प्राप्त करने पर परियोजना को पूर्ण माना जाना था। इस मामले में, आबंटी ने ₹ 60 करोड़ के निवेश का न्यूनतम मानदंड हासिल किया। प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आबंटी ने ₹ 58.13 करोड़ का निवेश किया जो प्रस्तावित निवेश (₹ 104.88 करोड़) का केवल 55.42 प्रतिशत बनता है, इसलिए संपदा प्रबंधन प्रक्रिया के प्रावधान के अनुसार जुर्माना उद्गृहीत किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, कंपनी ने संपदा प्रबंधन प्रक्रिया, 2015 के प्रावधानों के अनुसार ₹ 13.27 करोड़ की फीस/जुर्माना लगाए बिना परियोजना को पूर्ण घोषित करने में आबंटी को अनुचित लाभ पहुंचाया।

मामला सरकार और कंपनी के पास भेजा गया था (जनवरी 2022); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अप्रैल 2022)।

3.3 अग्रिम आयकर के कम जमा होने के कारण परिहार्य ब्याज भार

कंपनी ने आय गणना तथा प्रकटीकरण मानकों को अपनाने में देरी की और ₹ 14.99 करोड़ का दंडात्मक ब्याज दिया। इस प्रक्रिया में इसे ₹ 4.05 करोड़ की परिहार्य अतिरिक्त ब्याज लागत वहन करनी पड़ी।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) आबंटियों को उनकी औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए औद्योगिक प्लॉट आबंटित करती है, जिसकी लागत लागू ब्याज के साथ लंबी अवधि में किस्तों में वसूल की जाती है। कंपनी के वित्तीय विवरणों को आबंटियों से वसूली योग्य ब्याज को छोड़कर संचयी आधार पर रखा गया था, जिसका लेखांकन नकद आधार पर किया गया था।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने आय गणना और प्रकटीकरण मानकों को अधिसूचित किया (मार्च 2015) जिनके आधार पर ब्याज आय सहित राजस्व की गणना आयकर उद्देश्य के लिए संचयी आधार पर की जानी चाहिए। प्रारंभ में निर्धारण वर्ष 2016-17 से लागू आय गणना और प्रकटीकरण मानकों को निर्धारण वर्ष 2017-18 से प्रभावी (सितंबर 2016) किया गया था। इसलिए, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आय गणना और प्रकटीकरण मानक लागू करने की आवश्यकता थी तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अग्रिम कर की गणना तदनुसार की जानी थी और आयकर विभाग के पास जमा की जानी थी। तथापि, कंपनी ने अनुमानित लाभ में संचयी आधार पर ब्याज आय की गणना नहीं की और ₹ 136.28 करोड़ की कुल आय के साथ केवल वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 24.47 करोड़ का अग्रिम कर जमा किया।

कंपनी ने नए आयकर प्रावधानों का संज्ञान अप्रैल 2018 में ही लिया तथा संचयी आधार पर ₹ 204.06 करोड़ की ब्याज आय जोड़कर लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर ₹ 285.43 करोड़ की अपनी आय का आकलन करते हुए संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल की (अक्तूबर 2018)। कंपनी ने अब आयकर अधिनियम की धारा 234बी एवं 234सी के अंतर्गत ₹ 14.99 करोड़ के दंडात्मक ब्याज सहित ₹ 80.32 करोड़ के शेष कर का भुगतान किया (अक्तूबर 2018)।

अत: प्रथम दृष्टया आय गणना और प्रकटीकरण मानक के निबंधनों के आधार पर संचयी आधार पर प्लॉटों के आबंटियों से प्राप्य ब्याज आय को शामिल न करने के कारण, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 14.99 करोड़ का दण्डात्मक ब्याज देना पड़ा। इस प्रक्रिया में, कंपनी को ₹ 4.05[10] करोड़ की परिहार्य अतिरिक्त ब्याज लागत को वहन करना पड़ा क्योंकि वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आयकर प्राधिकारियों द्वारा लगाई गई दंडात्मक ब्याज दर अर्थात 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष कंपनी की उधार लागत अर्थात 8.76 प्रतिशत प्रतिवर्ष से काफी अधिक थी।

प्रबंधन ने बताया (नवंबर 2020) कि यदि कंपनी ने अपनी उधार ली गई निधियों में से वर्ष के दौरान कर का भुगतान किया होता, तो उसे उधार ली गई निधियों पर ब्याज लागत का भुगतान करना पड़ता। इस प्रकार, कर देयता में वृद्धि का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कंपनी की भारित औसत उधार लागत 2016-17 के दौरान 8.76 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी जबकि कंपनी ने 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से आयकर प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए दंडात्मक ब्याज (₹ 14.99 करोड़) का भुगतान किया था, जो कि कंपनी की उधार लागत से बहुत अधिक था। कंपनी ने 2016-17 के दौरान ही आय गणना और प्रकटीकरण मानक को न अपनाने का कोई कारण नहीं बताया जब उसे संचयी आधार पर ब्याज आय पर विचार करके अग्रिम कर जमा करना अपेक्षित था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (अप्रैल 2022), प्रबंधन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अग्रिम कर जमा करने में देरी हुई क्योंकि एकीकृत गणना और प्रकटीकरण मानक के कार्यान्वयन के संबंध में मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था तथा इस संबंध

[10] ₹ 14.99 करोड़ तथा ₹ 10.94 करोड़ (₹ 14.99 करोड़ * 8.76/12 = ₹ 10.94 करोड़) का अंतर।

में अंतिम निर्णय नवंबर 2017 में दिया गया था। प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा बनाए गए एकीकृत गणना और प्रकटीकरण मानक कंपनी पर लागू थे। वित्तीय निर्णय लेते समय, प्रबंधन को कंपनी की उधार लागत पर विचार करने की आवश्यकता थी जो अग्रिम कर जमा करने में देरी के कारण आयकर विभाग द्वारा प्रभारित ब्याज दर से कम थी।

मामला सरकार तथा कंपनी के पास भेजा गया था (दिसंबर 2021); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 2022)।

अध्याय 4

शहरी विकास

अध्याय 4

शहरी विकास

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग

4.1 संशोधित दरों पर लाइसेंस फीस की अंतरीय राशि की वसूली न होना

समय पर कार्रवाई न करने के कारण विभाग आठ वर्ष से अधिक की अवधि के बाद भी ₹ 1.94 करोड़ की लाइसेंस फीस की अंतरीय राशि वसूल करने में विफल रहा।

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अंतर्गत आवासीय, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए निजी कॉलोनाइजरों को लाइसेंस प्रदान करता है। हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपनी भूमि को कॉलोनी में परिवर्तित करना चाहता है, जब तक कि धारा 9 के अंतर्गत छूट नहीं दी जाती है, निदेशक को कॉलोनी विकसित करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन करेगा और इसके लिए निर्धारित फीस और रूपांतरण प्रभारों का भुगतान करेगा। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा कालोनाइजरों से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित लाइसेंस फीस वसूल करता है। हरियाणा सरकार ने 1 जून 2012 से प्रभावी होने के लिए अप्रैल 2008 की पूर्व अधिसूचित दर के स्थान पर अगस्त 2013 में लाइसेंस फीस की दरों को संशोधित किया था।

निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा के कार्यालय में अप्रैल 2019 से मार्च 2021 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान (21 जून 2021 से 15 जुलाई 2021), यह अवलोकित किया गया था कि विभाग ने सितंबर 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य तीन निजी कॉलोनाइजरों से पूर्व-संशोधित दरों के अनुसार लाइसेंस फीस एकत्र की। नमूना-जांच किए गए मामलों का विवरण ***तालिका 4.1*** में दिया गया है।

तालिका 4.1: नमूना-जांच किए गए मामलों का विवरण जिसमें विभाग ने निजी कॉलोनाइजरों से पूर्व-संशोधित दरों के अनुसार लाईसेंस फीस वसूल की

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लाइसेंसधारी/ स्थान का नाम	लाइसेंस नंबर एवं जारी करने की तिथि	एकड़ में क्षेत्रफल	प्रति एकड़ वसूल की जाने वाली लाइसेंस फीस	प्रति एकड़ वसूल की गई लाइसेंस फीस	वसूल की जाने वाली अंतरीय राशि
1.	मैसर्ज हरमन प्रॉपर्टी लिमिटेड, अंबाला	2012 का 105 11 अक्तूबर 2012	आवासीय प्लॉट 51.366	5 प्रति एकड़ (₹ 256.83 लाख)	3.10 प्रति एकड़ (₹ 159.23 लाख)	97.60
			वाणिज्यिक 1.99	50 प्रति एकड़ (₹ 99.50 लाख)	51 प्रति एकड़ (₹ 101.49 लाख)	(-) 1.99
				निवल अंतर -----(1)		**95.61**
2.	मैसर्ज तनेजा डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पानीपत	2012 का 121 13 दिसंबर 2012	आवासीय प्लॉट कॉलोनी 25.67	7.50 प्रति एकड़ (₹ 192.53 लाख)	4.30 प्रति एकड़ (₹ 110.38 लाख)	82.15
			वाणिज्यिक 2.248	110 प्रति एकड़ (₹ 247.28 लाख)	110 प्रति एकड़ (₹ 247.28 लाख)	0
				निवल अंतर -----(2)		**82.15**
3.	मैसर्ज प्राइम जोन डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, असंध	2012 का 120 10 दिसंबर 2012	आवासीय प्लॉट 33.287	1 प्रति एकड़ (₹ 33.29 लाख)	0.51 प्रति एकड़ (₹ 16.98 लाख)	16.31
			वाणिज्यिक 1.35	10 प्रति एकड़ (₹ 13.50 लाख)	10.10 प्रति एकड़ (₹ 13.64 लाख)	(-)0.14
				निवल अंतर ----(3)		**16.17**
	कुल (1+2+3)					**193.93**

आगे यह अवलोकित किया गया था कि विभाग ने इन लाइसेंसधारियों को तब तक कोई डिमांड नोटिस जारी नहीं किया जब तक कि मामला लेखापरीक्षा द्वारा विभाग के संज्ञान में नहीं लाया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान सूचित किया (अप्रैल 2022) कि मैसर्ज प्राइम जोन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया था (अक्तूबर 2018) क्योंकि उसने लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था तथा बकाया राशि की वसूली के लिए मामला महाराष्ट्र सरकार को सूचित किया गया था क्योंकि लाइसेंस प्राप्त भूमि को महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 2014 की अधिसूचना द्वारा जब्त किया गया है। निदेशक ने आगे बताया कि शेष दो मामलों में लाइसेंस फीस की अंतरीय राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे थे।

इस प्रकार, विभाग द्वारा समय पर कार्रवाई न करने के कारण ₹ 1.94 करोड़ की अंतरीय लाइसेंस फीस की वसूली नहीं हो सकी।

विभाग, सरकार को राजस्व की हानि से बचाने के लिए संशोधित दरों पर लाइसेंस फीस के अंतर की वसूली सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस फीस के सभी मामलों की पुन:जांच करे। संशोधित दरों पर लाइसेंस फीस की वसूली न करने की जिम्मेदारी तय की जाए।

मामला उत्तर/टिप्पणियों के लिए अपर मुख्य सचिव, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा सरकार के पास भेजा गया था (जनवरी 2022)। उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2022)।

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग

4.2 बैंक गारंटियों का पुनर्वैधीकरण न करने से राज्य के राजकोष को ₹ 9.84 करोड़ की हानि हुई

हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियमों के प्रावधानों को लागू न करने के कारण, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग राज्य के खजाने के हितों की रक्षा करने में विफल रहा और बैंक गारंटियों का पुनर्वैधीकरण न करने के कारण लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ दिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.84 करोड़ की हानि हुई।

हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 8 (1) के प्रावधानों के अनुसार, यदि कॉलोनाइजर लाइसेंस की किसी भी शर्त अथवा अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है तो विभाग द्वारा लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है, बशर्ते कि इस तरह के निरस्तीकरण से पहले कॉलोनाइजर को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। निरस्तीकरण के बाद, अधिनियम की धारा 8(2) के अनुसार विभाग कालोनी में विकास कार्य करा सकता है तथा उक्त विकास कार्यों पर किए गए व्यय कॉलोनाइजर एवं प्लॉट-धारकों से वसूल कर सकता है।

हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियमावली के नियम 11 के प्रावधान के अनुसार, कालोनाइजरों को विकास कार्यों[1] की अनुमानित लागत के 25 प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी। कालोनाइजरों द्वारा अनुबंध की किसी भी क्लॉज के उल्लंघन की स्थिति में, विभाग प्रदान किए गए लाइसेंस को निरस्त करने का हकदार था तथा उस स्थिति में बैंक गारंटी को भुनाना अपेक्षित था।

पंजाब वित्तीय नियम के नियम 4.1 में प्रावधान है कि विभागीय नियंत्रण अधिकारियों को यह देखना चाहिए कि सरकार को देय सभी राशियों का नियमित एवं तत्काल रूप से मूल्यांकन किया जाता है, वसूली की जाती है तथा खजाने में विधिवत जमा की जाती हैं।

निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा के कार्यालय में अप्रैल 2019 से मार्च 2021 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान (21 जून 2021 से 15 जुलाई 2021) यह देखा गया था कि विभाग राज्य के खजाने के हितों की रक्षा के लिए नियमों और विनियमों का प्रवर्तन नहीं कर रहा था और लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचा रहा था। यह अवलोकित किया गया था कि तीन मामलों में बैंक गारंटी का पुनर्वैधीकरण न करने के कारण राज्य के खजाने को ₹ 9.84 करोड़ की हानि हुई, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(i) नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा ने नवंबर 2006 में सोनीपत जिले के सेक्टर 10 और 11 के ग्राम रायपुर में 13.3125 एकड़ भूमि पर ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी की स्थापना के लिए 2006 का लाइसेंस 1283 (एलसी 785) जारी किया। लाइसेंस 28 नवंबर 2008 तक वैध था। लाइसेंसधारी ने लाइसेंस के नवीकरण हेतु 20 नवंबर 2008 को आवेदन किया जिसे विभाग द्वारा लाइसेंसधारी के विरूद्ध ₹ 29.74 करोड़ की भारी बकाया राशि के कारण निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद लाइसेंसधारी ने लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था। विभाग ने अक्तूबर 2012 में लाइसेंस निरस्त कर दिया। विभाग के पास बाह्य विकास प्रभार (ई.डी.सी.) और आंतरिक विकास प्रभार (आई.डी.सी.) के कारण ₹ 4.16[2] करोड़ की बैंक गारंटी थी जो 12 अक्तूबर 2009 तक वैध थी। तथापि, विभाग ने बैंक गारंटियों को पुनर्वैध/निरस्त नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप तात्कालिक मामले में राज्य के खजाने को ₹ 4.16 करोड़ की हानि हुई। उपायुक्त, सोनीपत से वरिष्ठ नगर योजनाकार, रोहतक को भूमि/भवन का लाइसेंस सौंपने के लिए अनुरोध (नवंबर 2020) करने के अलावा विभाग ने अब तक लंबित बकाया की वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी।

(ii) नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा ने मार्च 2008 में 6.98 एकड़ भूमि पर ग्राम धोलागढ़, सेक्टर 14, पलवल में ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी की स्थापना के लिए मार्च 2008 में 2008 का लाइसेंस 65 (एलसी 1589) जारी किया। लाइसेंस 18 मार्च 2010 तक वैध था जिसे विभाग द्वारा 18 मार्च 2012 तक नवीकृत किया गया था। लाइसेंसधारी ने हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 के नियम 24, 26, 27 और 28 के

---

1 आंतरिक तथा बाहरी विकास कार्य।

2 बाह्य विकास प्रभारों एवं आंतरिक विकास कार्यों के लिए क्रमश: ₹ 315.98 लाख और ₹ 99.97 लाख की बैंक गारंटी।

अनुपालन में दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के साथ-साथ 2012 के बाद लाइसेंस का नवीकरण न करने सहित हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया था। विभाग ने विसंगतियों को दूर करने के लिए लाइसेंसधारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद 21 अगस्त 2018 को लाइसेंस निरस्त कर दिया।

विभाग के पास लाइसेंस निरस्त करते समय 27 फरवरी 2020 तक वैध ₹ 2.31[3] करोड़ की बैंक गारंटी थी। तथापि, विभाग ने बैंक गारंटियों का पुनर्वैधीकरण/निरस्तीकरण नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप तात्कालिक मामले में राज्य के खजाने को ₹ 2.31 करोड़ की हानि हुई। विभाग ने उपायुक्त (डीसी), पलवल से बकाया राशि वसूल करने का अनुरोध किया (अगस्त 2018), तथापि जून 2021 तक कोई वसूली नहीं की गई।

(iii) सेक्टर-95 गुरुग्राम में 10.25 एकड़ क्षेत्र में ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी स्थापित करने के लिए विभाग द्वारा 2008 का लाइसेंस 42 प्रदान किया गया था। लाइसेंस 1 मार्च 2010 तक वैध था। कॉलोनाइजर ने 25 जनवरी 2012 तक वैधता अवधि के साथ ₹ 3.37[4] करोड़ की बैंक गारंटी प्रस्तुत की, जिसके विरुद्ध बाह्य विकास प्रभारों और आंतरिक विकास कार्यों के लिए 25 जुलाई 2012 तक दावे दर्ज किए जा सकते थे। संवीक्षा के दौरान, यह अवलोकित किया गया था कि विभाग ने लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया समय पर शुरू नहीं की क्योंकि लाइसेंस की वैधता अवधि 1 मार्च 2010 को समाप्त हो गई थी। निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू न होने और बैंक गारंटी के निरसन के कारण राज्य के खजाने को ₹ 3.37 करोड़ की हानि हुई।

आगे यह अवलोकित किया गया था कि कॉलोनाइजर ने लाइसेंस के नवीकरण के लिए समीक्षा याचिका के साथ ₹ तीन करोड़ का अदिनांकित चेक भी इस आश्वासन के साथ प्रस्तुत किया (मार्च 2013) कि वह 30 जून 2013 को या उससे पहले बाह्य विकास प्रभार की शेष राशि जमा कर देगा। यद्यपि कॉलोनाइजर ने जून 2013 के अंत तक बाह्य विकास प्रभार की शेष राशि जमा नहीं की थी, फिर भी विभाग ने उपर्युक्त अदिनांकित चेक को नहीं भुनाया। आगे, जुलाई 2021 तक कॉलोनाइजर से बकाया राशि की वसूली के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि बकाया देयों की वसूली की संभावना बहुत क्षीण है क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कॉलोनाइजर के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है (सितंबर 2019)।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (अप्रैल 2022) निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने बताया कि तीनों मामलों में विभाग द्वारा लाइसेंस निरस्त कर दिए गए थे और वैधता अवधि की समाप्ति से पहले बैंक गारंटी के नकदीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तथापि, विभाग 2008 की लाइसेंस संख्या 42 के मामले को छोड़कर उत्तर के समर्थन में उन दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर सका जिनमें विभाग ने जुलाई 2012 में बैंक को बैंक गारंटी को भुनाने का

---

[3] बाह्य विकास प्रभारों एवं आंतरिक विकास कार्यों के लिए क्रमशः ₹ 182.25 लाख और ₹ 49.21 लाख की बैंक गारंटी।

[4] बाह्य विकास प्रभारों एवं आंतरिक विकास कार्यों के लिए क्रमशः ₹ 267.63 लाख और ₹ 69.65 लाख की बैंक गारंटी।

निर्देश दिया था लेकिन बैंक गारंटी की वैधता अवधि समाप्त होने के कारण बैंक ने अपनी असमर्थता व्यक्त की थी।

इस प्रकार, हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए विभाग के ढुलमुल रवैये के कारण राज्य के खजाने को ₹ 9.84[5] करोड़ की हानि हुई।

मामला उत्तर/टिप्पणियों के लिए अपर मुख्य सचिव, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा सरकार के पास भेजा गया था (19 जनवरी 2022)। उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2022)।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, वन विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा तथा नगर निगम, फरीदाबाद

4.3 अधिसूचित भूमि में बहुमंजिला इमारत का अवैध निर्माण और फलस्वरूप ₹ 182.46 करोड़ मूल्य के वाणिज्यिक कार्यालय स्थलों की अवैध बिक्री

नगर निगम, फरीदाबाद ने पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 (गैर-वानिकी गतिविधियों के निषेध के साथ संरक्षित एवं सुरक्षित) के अंतर्गत अधिसूचित भूमि डेवलपर को आबंटित की, जिसने वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद इस पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया। भवन योजनाओं को नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा स्वीकृत किया गया था और आबंटन के निबंधनों के उल्लंघन में आधिपत्य प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया गया था। तत्पश्चात, डेवलपर द्वारा सब-रजिस्ट्रार से अवैध हस्तांतरण विलेखों का पंजीकरण करवाया गया। भवन का कुल मूल्यांकन ₹ 182.46 करोड़ है।

अधिनियम, 1963[6] की धारा 3, 6 और 7, अनुसूचित सड़कों और/अथवा नियंत्रित क्षेत्रों के अंदर भवनों के निर्माण/पुनर्निर्माण और नियंत्रित क्षेत्रों में भूमि के उपयोग के विरुद्ध निषेधों को निर्धारित करती है। इन निषेधों के विरुद्ध अनुमति प्राप्त करने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति अधिनियम, 1963 की धारा 8 के अंतर्गत निदेशक[7], नगर एवं ग्राम आयोजना, हरियाणा को आवेदन करेगा। धारा 8 अर्थात भूमि उपयोग में परिवर्तन के अंतर्गत उक्त अनुमति प्रदान करने की निर्धारित प्रक्रिया को नियम, 1965[8] के भाग IV-ए (नियम 26-ए से 26-एफ) के अंतर्गत रखा गया है। आवेदक को नियम 26-ए के अंतर्गत निर्धारित भूमि उपयोग में परिवर्तन-I फॉर्म में भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा तथा प्रावधान कॉलोनाइजर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए हैं। नियम, 1965 के नियम 26डी के अंतर्गत निर्धारित भूमि उपयोग में परिवर्तन-II फॉर्म में अनुबंध का निष्पादन भूमि उपयोग में परिवर्तन-III फॉर्म में दिए गए भूमि उपयोग के परिवर्तन के अनुमोदन के लिए एक शर्त है। डेवलपर को उक्त भूमि या उसके भाग को तब तक नहीं बेचने का करार में वचन देना होगा जब तक कि उक्त भूमि को निदेशक द्वारा अनुमत उपयोग में नहीं लाया गया हो तथा उक्त

---

5 ₹ 9.84 करोड़ = ₹ 4.16 करोड़ + ₹ 2.31 करोड़ + ₹ 3.37 करोड़।

6 पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963.

7 अथवा अधिनियम, 1963 की धारा 2 (6) के अंतर्गत निदेशक की शक्तियों तथा कार्यों के प्रयोग और निष्पादन के लिए अधिसूचना द्वारा सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को।

8 पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध नियम, 1965.

भूमि का उपयोग केवल निदेशक द्वारा अनुमत उद्देश्यों के लिए किया गया हो। जोनिंग आयोजनाओं सहित भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स प्रशासन के मुख्य प्रशासक और तत्पश्चात नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा दी गई थी जो निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना की ओर से इन शक्तियों, कार्यों और प्रक्रियाओं का उपयोग कर रहे थे।

जब डेवलपर उक्त भूमि को आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या अन्य उद्देश्यों के लिए उप-विभाजित और भवन भूखंडों में विकसित करके कॉलोनी स्थापित करने के उद्देश्य से नियंत्रित क्षेत्र में भूमि के मौजूदा उपयोग को बदलने की मंशा से कॉलोनाइजर के रूप में कार्य करना चाहता है तो उसे नियम 11 के अंतर्गत सीएल-I फॉर्म में आवेदन करना होगा और नियम, 1965 के नियम 11 से 16 में निर्धारित प्रावधानों का पालन करना होगा।

वैकल्पिक रूप से, डेवलपर हरियाणा विकास तथा शहरी क्षेत्रों के विनियमन नियम, 1976 (नियम, 1976) के नियम 3 से 11 में निर्धारित प्रावधानों का पालन करते हुए हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (अधिनियम, 1975) की धारा 3 के अंतर्गत निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना को लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकता है। उप-रजिस्ट्रार अधिनियम, 1975[9] की धारा 7ए के प्रावधानों के अनुपालन के बाद या हरियाणा अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1983 (अपार्टमेंट अधिनियम, 1983) के प्रावधानों के अनुपालन के बाद निर्मित क्षेत्र के रूप में ऐसे उप-विभाजित भागों को भूमि के रूप में बेचने की अनुमति दे सकता है। डेवलपर को पूर्णता प्रमाण-पत्र/आधिपत्य प्रमाण-पत्र के 90 दिनों के अंदर अपार्टमेंट अधिनियम, 1983 की धारा 2 और 3 (जे) के अंतर्गत निर्दिष्ट घोषणा विलेख को पंजीकृत करवाना होगा, जैसा कि 1975 के अधिनियम और/या 1963 के अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त विकास के लिए लागू है। अपार्टमेंट अधिनियम, 1983 (अपार्टमेंट अधिनियम, 1983 की धारा 2, 3(एफ) तथा 4 के अंतर्गत निर्दिष्ट) के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में निहित अन्य क्षेत्रों के अलावा एकीकृत वाणिज्यिक परिसरों में वाणिज्यिक स्थानों के खरीदारों के पास उस भूमि पर समानुपातिक अधिकार हैं जिस पर एकीकृत परिसर बनाया गया है।

(i) भूमि उपयोग में परिवर्तन की स्वीकृति एवं नगर निगम, फरीदाबाद की भूमि का अतिरिक्त आबंटन

नगर निगम, फरीदाबाद, वन विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग और स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग जैसे कई विभागों और संस्थाओं से संबंधित मुद्दों की जांच के दौरान (नवंबर-दिसंबर 2021) यह देखा गया कि मैसर्ज गोदावरी शिल्पकला प्राइवेट लिमिटेड (डेवलपर) को लक्कड़पुर[10] गांव की राजस्व संपदा में स्थित 5.5 एकड़ (44 कनाल) भूमि के विकास और 'मनोरंजन, सांस्कृतिक और होटल कॉम्प्लेक्स' के रूप में भूमि के उपयोग के लिए

---

9 धारा 7ए के अंतर्गत 3 मार्च 2017 से पहले 1,000 वर्गमीटर से कम और उसके बाद दो कनाल से कम क्षेत्र वाली किसी भी खाली भूमि बिक्री या पट्टे या उपहार के माध्यम से हस्तांतरित करने के लिए निदेशक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है; धारा 7(i) के अंतर्गत कॉलोनी में प्लॉटों के हस्तांतरण को 1975 के अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत लाइसेंस के बिना प्रतिबंधित किया गया है।

10 लक्कड़पुर गांव पंजाब के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा जारी दिनांक 19 दिसंबर 1963 की अधिसूचना संख्या 3826-2टीसीपी-63/35804 के अनुसार 1963 के अधिनियम के नियंत्रित क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

12 मार्च 1992 को मुख्य प्रशासक-सह-निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना, फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन[11], फरीदाबाद द्वारा भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए अनुमति/अनुमोदन प्रदान किया गया था। 1963 के अधिनियम की धारा 2 (6) के अंतर्गत निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना की शक्तियों तथा कार्यों का उपयोग करते हुए अधिनियम, 1963 के अंतर्गत भूमि उपयोग में परिवर्तन की मंजूरी दी गई थी। निर्धारित भूमि उपयोग में परिवर्तन-II (नियम, 1965 का नियम 26डी) फॉर्म में समझौते के निष्पादन के बाद डेवलपर को भूमि उपयोग में परिवर्तन की मंजूरी दी गई थी। भूमि को मूल रूप से (12 मार्च 1992 से पूर्व) तथा वर्तमान में (दिसंबर 2021) राजस्व अभिलेखों में गैर-खेती योग्य पहाड़ियों (गैर-मुमकिन पहाड़) के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

डेवलपर ने पार्किंग, लैंड स्केपिंग और 5 सितारा होटल के विस्तार के प्रयोजन हेतु 5.5 एकड़ भूमि (पूर्ववर्ती अनुच्छेद में संदर्भित) से सटी 3.93 एकड़ भूमि (भूमि के तीन खंडों सहित) के आबंटन के लिए अनुरोध किया (नवंबर 1994)। हरियाणा सरकार[12] से अनुमोदन के बाद नगर निगम, फरीदाबाद ने लक्कड़पुर गांव की राजस्व संपदा में नगर निगम, फरीदाबाद से संबंधित 3.93 एकड़ भूमि ₹ 20 लाख प्रति एकड़ की दर तथा बाह्य विकास प्रभारों के साथ अन्य लागू प्रभारों सहित आबंटित की (मई 1995)। हस्तांतरण विलेख 28 अगस्त 1995 को निष्पादित किया गया था। 9.43 (5.5+3.93) एकड़ की संपूर्ण भूमि उपयोग में परिवर्तन साइट की अंतिम संशोधित जोनिंग योजना 19 नवंबर 2006 को आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा 26 मई 1992 और 11 सितंबर 1995 को जारी पिछली जोनिंग योजनाओं की निरंतरता में जारी की गई थी। विशिष्ट शर्तें निर्धारित की गई थीं जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार थीं:

(क) भूमि उपयोग में परिवर्तन साइट को किसी भी परिस्थिति में खंडित/उप-विभाजित नहीं किया जाना था जैसा कि भूमि उपयोग में परिवर्तन-II अनुबंध, आबंटन पत्र के निबंधनों एवं शर्तों और लागू क्षेत्रीय योजना (योजनाओं) की क्लॉज में निहित है; और

(ख) 19 नवंबर 2006 की संशोधित जोनिंग योजना के अनुसार साइट पर अनुमत भवन का उपयोग मनोरंजन, सांस्कृतिक और होटल कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए किया जाएगा। राजस्व अभिलेखों के अनुसार 3.93 एकड़ के इस भू-भाग की श्रेणी मूल रूप से गैर-खेती योग्य पहाड़ियों (गैर मुमकीन पहाड़) थी।

(ii) अवैध निर्माण

डेवलपर ने 5.5 एकड़ में पांच बिल्डिंग ब्लॉक्स की योजना बनाई, जिनमें से चार ब्लॉक (संख्या 1 से 4) इंटरकनेक्टेड टावर थे और 14 नवंबर 1994 को आयुक्त नगर निगम,

[11] फरीदाबाद परिसर प्रशासन 1994 में नगर निगम, फरीदाबाद का हिस्सा बना और इसके परिणामस्वरूप मुख्य प्रशासक के कार्य आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद के कार्यों का हिस्सा बन गए।

[12] निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय के साथ-साथ प्रधान सचिव (शहरी स्थानीय निकाय) द्वारा अनुमोदन से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

फरीदाबाद द्वारा आधिपत्य प्रमाण-पत्र[13] प्रदान किया गया था। पांचवां ब्लॉक बाद में निर्मित अलग भवन था। 51,609.173 वर्गमीटर आवृत्त करते हुए भूतल के ऊपर दस मंजिलों और बेसमेंट (कुल 14 मंजिला) के साथ 4 जुलाई 2008 को इसका भाग पूरा करने और आधिपत्य की अनुमति दी गई थी।

डेवलपर ने नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा आबंटित भूमि (अर्थात 3.93 एकड़) पर एक और बहुमंजिला इमारत की योजना बनाई और प्रस्तावित भवन योजनाओं को 5 नवंबर 2009 तक की वैधता (06 नवंबर 2007) के साथ स्वीकृत किया गया। स्वीकृत टावर में वाणिज्यिक कार्यालयों के लिए नौ मंजिल, हॉल के लिए तीन मंजिल, एटीएम स्पेस के लिए आरक्षित भूतल के ऊपर कार पार्किंग के लिए दो मंजिल और एक बेसमेंट (कुल 16 मंजिला) के साथ प्रवेश लॉबी शामिल है। उक्त भवन कार्य-स्थल पर ही पूरा हो गया था और नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा 7 अप्रैल 2011 को 32,975.96 वर्गमीटर कवर क्षेत्र के साथ आधिपत्य और पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया था। उपायुक्त कार्यालय फरीदाबाद द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में फर्श-वार क्षेत्रफल एवं वाणिज्यिक स्थान के लिए प्रति वर्ग फीट की दर तथा निर्मित कार्यालय स्थान के अनुरूप मूल्य का विवरण ***परिशिष्ट-7*** में दिया गया है। मूल्य ₹ 182.46 करोड़ बनता है।

भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति एवं अतिरिक्त भूमि के आबंटन के अनुमोदन में निर्माण एवं व्यावसायिक कार्यालयों के लिए निर्मित क्षेत्र के उपयोग की अनुमति नहीं थी। तथापि, अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि नगर निगम, फरीदाबाद ने भूमि उपयोग में परिवर्तन और भूमि आबंटन के अनुमोदन के उल्लंघन में भवन योजनाओं (वाणिज्यिक के रूप में भवन स्थल के उपयोग को दर्शाते हुए) को मंजूरी दी थी।

(iii) अवैध बिक्री

डेवलपर दिसंबर 2011 से ऑफिस स्पेस बेच रहा था। नगर निगम, फरीदाबाद को दिसंबर 2020 में अवैध हस्तांतरण विलेखों के बारे में पता चला जब एक व्यक्ति ने नगर निगम, फरीदाबाद से हस्तांतरण विलेखों की वैधता के बारे में जानकारी मांगी। मुख्य नगर योजनाकार, नगर निगम, फरीदाबाद ने फरवरी 2021 में ही सूचना प्रदान की। बाद में, आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद ने तहसीलदार, बड़खल (फरीदाबाद) से हस्तांतरण विलेखों की जानकारी एकत्र करने का आदेश दिया (24 मार्च 2021)। तहसीलदार, बड़खल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गोदावरी शिल्पकला में 'पिनेकल बिजनेस टॉवर' नामक टावर में 10 हस्तांतरण विलेखों ***(परिशिष्ट 8)*** को सब-रजिस्ट्रार, बड़खल के कार्यालय में 6 अक्तूबर 2017 से 21 दिसंबर 2020 के मध्य पंजीकृत किया गया था। आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद ने डेवलपर को कारण बताओ नोटिस जारी किया (25 मार्च 2021)। डेवलपर ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद ने पिनेकल बिजनेस टॉवर के परिसर को सील करने का आदेश दिया (8 अप्रैल 2021) क्योंकि भूमि के उपयोग, भूमि को बांटने तथा भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति के प्रावधानों के उल्लंघन में भवन की बिक्री, नियम, 1965 के नियम 26डी के अंतर्गत भूमि उपयोग में परिवर्तन-II अनुबंध तथा अनुमोदित जोनिंग योजना के उल्लंघन के मामले थे।

---

13 इन ब्लॉकों के फर्श क्षेत्र का विवरण नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

(iv) लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन

लेखापरीक्षा ने 2 दिसंबर 2021 को नगर निगम, फरीदाबाद के अधिकारियों के साथ पिनेकल बिजनेस टॉवर का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया और यह पाया गया था कि पिनेकल बिजनेस टॉवर को सील नहीं किया गया था। विस्तृत मंज़िल वार सत्यापन पर, यह पाया गया था कि सभी दस बिक चुकी इकाइयां जिन्हें 8 अप्रैल 2021 को आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा पिनेकल बिजनेस टॉवर के परिसर को सील करने के लिए आधार बनाया गया था, खुली थी और सील नहीं की गई थी। इसके विपरीत आठ अन्य इकाइयां[14] (जो सूची का हिस्सा नहीं थी) सफेद टेप से सील पाई गई।

(v) बिक्री विलेखों के पंजीकरण में अनियमितताएं

बड़खल और फरीदाबाद में सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में अभिलेखों की जांच ने नगर निगम, फरीदाबाद के अभिलेख में पहले से ही 10 विलेखों सहित पिनेकल बिजनेस टॉवर से संबंधित 40 हस्तांतरण विलेखों ***(परिशिष्ट 9)*** की प्रतियों के संग्रहण को सक्षम बनाया। नगर निगम, फरीदाबाद ने सब-रजिस्ट्रार, बड़खल के कार्यालय से हस्तांतरण विलेख प्राप्त किए थे। यह कार्यालय वर्ष 2017 में अस्तित्व में आया था और वर्ष 2017 से पहले निष्पादित विलेखों को प्राप्त किया जाना शेष था। ये सब-रजिस्ट्रार, फरीदाबाद के कार्यालय की अभिरक्षा में थे। यह भी अवलोकित किया गया था कि ***परिशिष्ट 9*** में क्रमांक 3, 4 एवं 5 पर हस्तांतरण विलेख सब-रजिस्ट्रार, फरीदाबाद के हस्ताक्षर के बिना पंजीकृत किए गए थे। बिक्री विलेख/करार, वाणिज्यिक कार्यालयों तक सीमित तीसरे पक्ष के अधिकारों के सृजन को संप्रेषित करने के लिए तैयार किए गए थे और भूमि के उप-विभाजन का कोई संदर्भ नहीं था। सब-रजिस्ट्रार, बड़खल ने लेखापरीक्षा के साथ एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान उल्लेख किया (दिसंबर 2021) कि ऐसी परियोजनाओं में डेवलपर्स प्रारंभिक चरण में परियोजना फाइल जमा करते हैं और फाइल की विस्तार से जांच की जाती है। उसके बाद नियमित रूप से विलेख पंजीकृत किए जाते हैं और हर बार परियोजना फाइल की जांच नहीं की गई थी, किंतु सिर्फ आधिपत्य/पूर्णता प्रमाण-पत्र की जांच की गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि पिनेकल टॉवर में हस्तांतरण विलेखों के पंजीकरण से पहले हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों के विनियमन अधिनियम, 1975 (अधिनियम, 1975) की धारा 7 ए के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बिक्री योग्य क्षेत्र भूमि नहीं बल्कि एक निर्मित क्षेत्र था। सब-रजिस्ट्रार का कथन सही नहीं था क्योंकि 1975 के अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त किए बिना हस्तांतरण विलेख निष्पादित नहीं किया जा सकता था। परियोजना फाइल की प्रति विशेष रूप से उप-रजिस्ट्रार-सह-तहसीलदार, बड़खल और फरीदाबाद के कार्यालय से मांगी गई थी किंतु उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया था। तथापि, उप-रजिस्ट्रार-सह-तहसीलदार, फरीदाबाद ने सूचित किया कि घोषणा-पत्र विलेख (अपार्टमेंट अधिनियम, 1983 की धारा 2 और 3 (जे) के अंतर्गत) को डेवलपर द्वारा पंजीकृत नहीं कराया गया था।

---

[14] दूसरी मंजिल - संख्या 201 और 206; तीसरी मंजिल - संख्या 301, 305 और 306; चौथी मंजिल - संख्या 404 और छठी मंजिल - संख्या 603 और 605.

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नवंबर 2006 में जारी संयुक्त जोनिंग योजना के उल्लंघन में डेवलपर एकीकृत वाणिज्यिक परिसर के रूप में कॉलोनी स्थापित करने का हकदार नहीं था। डेवलपर ने नियम, 1976 के नियम 3 से 11 में निर्धारित प्रावधानों का पालन करके अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत लाइसेंस भी प्राप्त नहीं किया था और न ही अधिनियम, 1975 की धारा 7ए के अंतर्गत प्रावधानों का अनुपालन (जिसके लिए नगर एवं ग्राम आयोजना के निदेशक से अनुमति की आवश्यकता होती है), या अपार्टमेंट अधिनियम, 1983 के प्रावधानों का पालन किया था, जिसमें डीड ऑफ डिक्लेरेशन के पंजीकरण की आवश्यकता थी। पंजीकृत हस्तांतरण विलेख उपर्युक्त निर्दिष्ट प्रावधानों के विपरीत थे। डेवलपर धोखाधड़ी से ₹ 88.94 करोड़ के 40 हस्तांतरण विलेखों को निष्पादित करने में सफल रहा (जैसा कि ***परिशिष्ट 9*** में वर्णित है)। सब-रजिस्ट्रारों के कार्यालयों ने इस तथ्य की अनदेखी की थी कि डेवलपर ने अपार्टमेंट अधिनियम, 1983 के अंतर्गत डीड ऑफ डिक्लेरेशन पंजीकृत नहीं किया था; हस्तांतरण विलेखों में अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत किसी भी लाइसेंस का उल्लेख नहीं था, जो 1975 के अधिनियम की धारा 7(i) के अंतर्गत अधिदेशित था; और संदर्भित भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति किसी बिक्री और विखंडन अधिकार को निहित किए बिना नियम, 1965 के नियम 26डी के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए गए 'सांस्कृतिक, मनोरंजक और होटल' कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए थी। इसी तरह के विचार माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा भी 10 जनवरी 2020 को तय किए गए 2015 के सीडब्ल्यूपी संख्या 26147 के मामले में लिए गए हैं।

(vi) नगर निगम, फरीदाबाद ने पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 के अंतर्गत अधिसूचित भूमि आबंटित की

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया था कि हरियाणा सरकार (वन विभाग) ने पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 (हरियाणा में लागू) की धारा 4 के अंतर्गत दिनांक 18 अगस्त 1992 की अधिसूचना संख्या एस.100/पी.ए.2/एस.4/92 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना में फरीदाबाद जिले की बल्लभगढ़ तहसील के लक्कड़पुर गांव की राजस्व संपदा में 30 वर्ष के लिए मिट्टी को कटाव से बचाने के लिए आवश्यक निषेध किया गया है। डेवलपर को आबंटित नगर निगम, फरीदाबाद की भूमि (3.93 एकड़), जिस पर 'पिनेकल बिजनेस टॉवर' का निर्माण किया गया था, पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम द्वारा अधिसूचित क्षेत्र (गैर-वानिकी गतिविधियों के निषेध के साथ संरक्षित एवं सुरक्षित) का हिस्सा थी। पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम द्वारा अधिसूचित क्षेत्र का हिस्सा होने के बावजूद, नगर निगम, फरीदाबाद के अभिलेख आबंटन करने से पहले वन विभाग से किसी भी परामर्श/अनापत्ति प्रमाण-पत्र का उल्लेख नहीं करते हैं।

(vii) वन विभाग की ओर से चूक

वन विभाग में आगे की जांच में, यह अवलोकित किया गया था कि रेंज वन अधिकारी, फरीदाबाद ने गैर-वानिकी गतिविधियों के निष्पादन और पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन

करने के लिए डेवलपर की भूमि में स्थित भवनों (होटल विवांता और पिनेकल) को संबोधित करते हुए 1 अगस्त 2021 को दो नोटिस जारी किए। इस नोटिस के उत्तर में, डेवलपर ने रेंज वन अधिकारी, बल्लभगढ़ (तत्कालीन अधिकार क्षेत्र कार्यालय) द्वारा 11 दिसंबर 2006 को जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया। इस अनापत्ति प्रमाण-पत्र के द्वारा यह सूचित किया गया था कि डेवलपर की भूमि के खसरा नंबर पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते। तथापि, लेखापरीक्षा ने डेवलपर की भूमि के खसरा नंबरों, दिनांक 18 अगस्त 1992 की पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम अधिसूचना और इस अनापत्ति प्रमाण-पत्र ***(परिशिष्ट 10)*** में उल्लिखित खसरा नंबरों की तुलना की और यह पता चला कि नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा आबंटित 3.93 एकड़ भूमि का पूरा खंड (जिस पर पिनेकल टॉवर का निर्माण किया गया था) पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम द्वारा अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता था।

रेंज वन अधिकारी, बल्लभगढ़ ने 5 जनवरी 2022 को सूचित किया कि 11 दिसंबर 2006 को क्रमांक 211 के माध्यम से डेवलपर को अनापत्ति प्रमाण-पत्र भेज दिया गया था, लेकिन इस अनापत्ति प्रमाण-पत्र का कोई कार्यालय अभिलेख कार्यालय में मौजूद नहीं था। उप-वन संरक्षक, फरीदाबाद के कार्यालय में आगे की जांच पर यह सूचित किया गया था कि रेंज वन अधिकारी ऐसा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं था। इस प्रकार, रेंज वन अधिकारी ने ऐसा करने के लिए सक्षम न होने के बावजूद अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया था और उक्त वन कानूनों के उल्लंघन में गैर-वानिकी गतिविधियों की सुविधा प्रदान की थी। वन विभाग ने उल्लंघन का संज्ञान लेने के बावजूद कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा डेवलपर को भूमि आबंटन से शुरू होने वाली अवैधताओं; भूमि उपयोग में परिवर्तन अनुबंध के उल्लंघन में वाणिज्यिक कार्यालय स्थान के लिए भवन योजनाओं की मंजूरी के माध्यम से बढ़ावा; अधिकारी, जो ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है, के द्वारा पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम द्वारा अधिसूचित क्षेत्र पर वन अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के माध्यम से सुगम करने और सब-रजिस्ट्रार, फरीदाबाद और बड़खल के कार्यालयों में हस्तांतरण विलेखों के अवैध निष्पादन का ट्रेल अवलोकित किया। इस प्रकार, नगर निगम, फरीदाबाद, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने डेवलपर द्वारा इस तरह के घोर उल्लंघन को सुलभ किया था।

नगर निगम, फरीदाबाद के साथ-साथ नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रवर्तन विंग ने नौ वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किए गए अवैध निर्माण के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी।

इस मामले पर 3 दिसंबर 2021 को आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद के साथ एग्जिट कांफ्रेंस में चर्चा की गई थी। आयुक्त ने मुख्य नगर योजनाकार को प्रासंगिक अभिलेखों के साथ अंतराल की व्याख्या करने का निर्देश दिया, जिसके कारण अवलोकन उत्पन्न हुए हैं। तथापि, ऐसा कोई व्याख्यात्मक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया था। इन लेखापरीक्षा निष्कर्षों को

दिसंबर 2021 में और फिर जनवरी 2022 में प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वन विभाग, वित्तीय आयुक्त, राजस्व विभाग, हरियाणा सरकार और निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के संज्ञान में लाया गया था। अप्रैल 2022 में निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग और निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के साथ एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई थी।

(i) शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी ने तर्क दिया कि जिस क्षेत्र में पिनेकल टॉवर स्थित है, उसे 1994 में स्पॉट जोनिंग के माध्यम से आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि स्पॉट जोनिंग का प्रावधान 1963 के अधिनियम और 1975 के अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में उपलब्ध नहीं था। आगे, इस साइट के एक हिस्से को प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (एन.सी.जेड.) से बाहर करने के प्रस्ताव को अब तक (अप्रैल 2022) मंजूरी नहीं मिली थी।

(ii) शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 के अंतर्गत अधिसूचना से पहले भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति दी गई थी। वक्तव्य तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना 1992 में जारी की गई थी और विचाराधीन भूमि नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा 1995 में आबंटित की गई थी।

(iii) नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अधिकारियों द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि कंपनी को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था और अधिनियम, 1975 की धारा 7 (i) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (अप्रैल 2022)।

सिफारिशें

हरियाणा सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:

(i) विचलन (नों) के सभी चरणों में पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम की अधिसूचना के साथ-साथ अन्य कानूनी और आंतरिक केंद्रीय प्रावधानों/प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने के लिए डेवलपर (रों) और शामिल लोक सेवकों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ करना।

(ii) उप-रजिस्ट्रारों के कार्यालयों के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को निर्धारित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि उपयोग में परिवर्तन साइटों के उप-विभाजन/विखंडन को हस्तांतरण/बिक्री विलेखों के पंजीकरण के माध्यम से सुगम नहीं बनाया गया है।

(iii) हरियाणा सरकार और नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा निवेशकों को भुगतान किए जाने के लिए आवश्यक मुआवजे का निर्धारण और उसके बाद उसका भुगतान करना। इसके बाद घटनाओं के लिए जिम्मेदार डेवलपर्स और संबंधित अधिकारियों/व्यक्तियों से भुगतान की गई मुआवजे की राशि की वसूली के लिए परिणामी कार्रवाई की आवश्यकता है।

मामला उत्तर/टिप्पणियों के लिए प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिवों, हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, वन विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के पास भेजा गया था (27 जनवरी 2022)। अप्रैल 2022 तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

चंडीगढ़ **(विशाल बंसल)**

दिनांक: 27 जुलाई 2022 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

दिनांक: 02 अगस्त 2022 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

(संदर्भः अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

एक क्लस्टर के भीतर विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के साथ क्लस्टरों का विवरण

क्लस्टर	विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	स्वायत्त निकाय
1. स्वास्थ्य एवं कल्याण	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		हरियाणा राज्य बाल अधिकार आयोग
	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग	हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	
	सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग		
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग		
	अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम प्राइवेट लिमिटेड	
		हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	
	महिला एवं बाल विकास	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	
2. शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	उच्च शिक्षा विभाग		हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पंचकुला
	श्रम विभाग		हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड पंचकुला
	स्कूल शिक्षा विभाग		
	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग		
	खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग		
	तकनीकी शिक्षा विभाग		
	रोजगार विभाग		
3. वित्त	आबकारी एवं कराधान विभाग		
	वित्त विभाग	हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड	
4. ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास विभाग		
5. कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड
		हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	
		हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	
		हरियाणा राज्य भंडारण निगम	
	पशुपालन एवं डेयरी विभाग		
	सहकारिता विभाग		
	मत्स्य विभाग		
	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग		
	बागवानी विभाग	हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड	

क्लस्टर	विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	स्वायत्त निकाय
6. जल संसाधन	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	हरियाणा लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	
7. ऊर्जा और विद्युत	नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा		
	बिजली विभाग	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग
		हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	
		उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	
		दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	
		सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड (अक्रियाशील)	
8. उद्योग एवं व्यापार	उद्योग एवं वाणिज्य	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड पंचकुला
		पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	
		हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड (अक्रियाशील)	
		हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड (अक्रियाशील)	
		हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (अक्रियाशील)	
		हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड	
	खान एवं भू-विज्ञान		
9. परिवहन	नागर विमानन		
	परिवहन विभाग	हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
10. शहरी विकास	नगर एवं ग्राम आयोजना	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला (ह.श.वि.प्रा.)
		गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, पंचकुला
		गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम
			गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण
	शहरी स्थानीय निकाय	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	
		फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	
		करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड	
	सभी के लिए आवास		हाउसिंग बोर्ड हरियाणा पंचकुला
11. पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन		
	वन विभाग	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		

क्लस्टर	विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	स्वायत्त निकाय
12. लोक निर्माण	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग		
	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	
		हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
		हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
13. आई.टी. एवं संचार	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	
		हारट्रोन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड	
14. कानून एवं व्यवस्था	गृह	हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नारनौल
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहाबाद
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जींद
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरसा
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यमुनानगर
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पानीपत
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिवानी
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रेवाड़ी
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेवात
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पलवल
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रोहतक
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनीपत
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झज्जर
			जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चरखी दादरी
			हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला
			हरियाणा वक्फ बोर्ड, अंबाला कैंट

क्लस्टर	विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	स्वायत्त निकाय
15. संस्कृति एवं पर्यटन	पुरातत्व एवं संग्रहालय		
	अभिलेखागार		
	कला एवं संस्कृति		
	पर्यटन	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	
16. सामान्य प्रशासन	चुनाव विभाग के प्रधान सचिव		
	नागरिक संसाधन सूचना विभाग		
	सामान्य प्रशासन		हरियाणा मानवाधिकार आयोग
	राज्य चुनाव आयोग		
	हरियाणा विधानसभा के सचिव		
	राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग		
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री		
	राज्यपाल के सचिव		
	सूचना, जनसंपर्क एवं भाषाएं		
	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग		

परिशिष्ट 2
(संदर्भः अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)
तीन क्लस्टरों में विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्लस्टर	विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	स्वायत्त निकाय
ऊर्जा और विद्युत	नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा		
	बिजली विभाग	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग
		हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	
		उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	
		दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	
		सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड (अक्रियाशील)	
उद्योग एवं वाणिज्य	उद्योग एवं वाणिज्य	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड पंचकुला
		पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	
		हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड (अक्रियाशील)	
		हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड (अक्रियाशील)	
		हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (अक्रियाशील)	
		हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड	
	खान एवं भू-विज्ञान		
शहरी विकास	नगर एवं ग्राम आयोजना	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला (ह.श.वि.प्रा.)
		गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, पंचकुला
		गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम
			गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण
	शहरी स्थानीय निकाय	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	
		फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	
		करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड	
	सभी के लिए आवास		हाउसिंग बोर्ड हरियाणा पंचकुला

परिशिष्ट 3
(संदर्भः अनुच्छेद 1.6; पृष्ठ 5)

बकाया अनुच्छेदों की श्रेणीवार राशि के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी/अनियमितताओं की प्रकृति	अनुच्छेदों की संख्या	धन मूल्य
1	चोरी, दुर्विनियोग एवं गबन के कारण हानि	33	17.60
2	वसूली योग्य राशि	604	2,07,589.41
3	नियमों का पालन न करना	495	43,090.06
4	परिहार्य/अनियमित/अधिक व्यय	429	6,356.33
5	निष्फल/बेकार व्यय	68	773.52
6	योजना के क्रियान्वयन/कार्य के निष्पादन में कमी	366	4,464.71
7	निधियों का उपयोग न करना/अवरोध करना	112	1,783.03
8	स्टोर/स्टॉक का सत्यापन न करना	58	13.42
9	साधनों का उपयोग न करने के कारण राजस्व की हानि	686	25,139.07
10	विविध	481	17,083.69
	कुल	**3,332**	**3,06,310.84**

स्रोत: निरीक्षण रिपोर्ट रजिस्टर से संकलित सूचना

अर्थात् ₹ 3,06,310.84 करोड़

परिशिष्ट 4
(संदर्भः अनुच्छेद 1.7.1; पृष्ठ 6)

31 मार्च 2022 तक लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति (कोपू) में चर्चा किए जाने हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 2018-19 और अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2019-20 के बकाया अनुच्छेदों का विवरण

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	कुल अनुच्छेद
(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	ऊर्जा और विद्युत	2018-19	2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7	8
	उद्योग एवं वाणिज्य	2018-19	5.1, 5.2, 5.3	3
	लोक निर्माण विभाग	2018-19	5.4, 5.5	2
	कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	2018-19	5.6, 5.7	2
कुल				**15**
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग	2019-20	2.1, 2.2	2
	खेल और युवा मामले विभाग	2019-20	2.3	1
	नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	2019-20	2.4, 2.5	2
	श्रम विभाग	2019-20	2.6	1
	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	2019-20	2.7	1
	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	2019-20	2.8, 2.9	2
	ऊर्जा और विद्युत	2019-20	3.1,3.2,3.3	3
	उद्योग एवं वाणिज्य	2019-20	3.4,3.5	2
	कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	2019-20	3.6,3.7,3.8,3.9	4
	स्वास्थ्य और कल्याण	2019-20	3.10	1
कुल				**19**
कुल योग				**34**

परिशिष्ट 5
(संदर्भः अनुच्छेद 1.7.2; पृष्ठ 6)

उन अनुच्छेदों का विवरण जिनमें 31 मार्च 2021 तक प्रशासनिक विभागों द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है

क्र. स.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	कृषि	2000-01	6.3	40.45
		2013-14	3.1	4,131.00
		2015-16	2.1.7.5	12,644.00
			2.1.9.3	21.41
		2017-18	2.1.6.3	2,222.00
2.	पशुपालन	2000-01	3.4	21.96
		2001-02	6.3	747.00
3.	वित्त	2013-14	3.7	2,021.00
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	2002-03	4.6.8	23.89
		2014-15	3.6.2	2,446.00
			3.6.3	240.00
		2017-18	3.4	2,404.00
		2018-19	3.5	299.00
5.	ग्रामीण विकास (डी.आर.डी.ए.)	2001-02	6.1.11	0.54
		2011-12	2.4.10.2	2.60
6.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हुडा)	2000-01	3.16	15,529.00
		2001-02	6.10	4,055.00
		2011-12	2.3.10.8	16,700.00
		2013-14	2.3.10.6	1,266.00
			2.3.10.11	37,386.00
			3.20	84.64
		2015-16	3.18 (क)	41,715.00
			3.18 (ख)	1,077.00
		2017-18	3.17 क	16,086.00
			3.17 ख	1,972.00
			3.18.7 (i)	11,14,413.00
			3.18.7 (ii)	1,955.00
			3.18.10	4,678.00
			3.18.11 (i)	342.00
			3.18.11 (ii)	2,025.00
			3.18.11 (iii)	2,690.00
		2018-19	3.14.3.3	3,189.00
			3.14.3.4	713.00
			3.14.3.7	15,21,661.00
			3.14.3.8	1,314.00
			3.14.3.11	96.00
			3.14.4.3	1,122.00
			3.14.4.5	72.00
			3.15	561.00
7.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (जिला रेड क्रॉस सोसायटी)	2011-12	3.3.5.1	1,572.00
8.	लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा)	2010-11	3.1.2	62.25

क्र. स.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
9.	श्रम एवं रोजगार	2011-12	2.1.9.4	79.95
10.	शहरी स्थानीय निकाय	2012-13	2.2.8.1	17,040.00
			2.2.8.6	10,182.00
			3.20	554.00
11.	सहकारिता	2012-13	2.5.7.4	494.00
			2.5.9.3	767.00
12.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	2012-13	3.6	125.00
13.	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	2018-19	2.1.8.3	11.56
			2.1.8.4 (i)	48.47
			2.1.8.5. (ii)	14.89
14.	स्कूल शिक्षा	2014-15	3.3	251.00
		2017-18	3.16.2.5	12.30
		2018-19	3.3	469.00
15.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	2015-16	3.12.4.1	53.00
16.	तकनीकी शिक्षा	2018-19	2.1.8.4 (ii)	1.57
			2.1.8.6	78.91
17.	उच्च शिक्षा विभाग	2016-17	2.1.7.3	118.00
			2.1.8 (ख)	2,631.00
		2018-19	2.1.8.5 (i)	6.36
			2.1.8.10	1.52
			2.1.8.11	2.54
18.	गृह (जेल) विभाग	2016-17	2.2.7.3	112.00
19.	आवास	2018-19	3.9	41.00
20.	स्वास्थ्य विभाग	2017-18	3.6.2.6	543.00
21.	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	2018-19	2.1.8.8	85.86
22.	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	2017-18	3.10	145.00
23.	वन	2018-19	3.7.4 (ii)	274.00
24.	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	2018-19	2.1.8.1	1,898.00
			2.1.8.2	965.00
			2.1.8.7	474.00
	कुल			**28,57,080.67**

परिशिष्ट 6
(संदर्भः अनुच्छेद 1.7.3; पृष्ठ 8)

31 मार्च 2022 तक सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति और कोपू की सिफारिशों के विवरण

क्र. सं.	लोक लेखा समिति			कोपू		
	लोक लेखा समिति की रिपोर्ट संख्या	लोक लेखा समिति की रिपोर्ट का वर्ष	लंबित सिफारिशें	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	लंबित सिफारिशें	कोपू की रिपोर्ट का वर्ष
1.	16वीं	1979-80	1	16वां	1	1983-84
2.	22वीं	1984-85	2	19वां	1	1984-85
3.	23वीं	1985-86	1	23वां	3	1986-87
4.	25वीं	1986-87	1	35वां	1	1992-93
5.	26वीं	1987-88	1	38वां	1	1994-95
6.	32वीं	1990-91	1	41वां	1	1996-97
7.	34वीं	1991-92	5	42वां	1	1996-97
8.	36वीं	1992-93	4	43वां	3	1997-98
9.	38वीं	1993-94	4	45वां	14	2000-01
10.	40वीं	1994-95	4	47वां	14	2000-01
11.	42वीं	1995-96	1	48वां	10	2000-01
12.	44वीं	1996-97	7	49वां	7	2001-02
13.	46वीं	1997-98	3	50वां	4	2002-03
14.	48वीं	1998-99	1	51वां	3	2003-04
15.	50वीं	2000-01	20	52वां	7	2005-06
16.	52वीं	2001-02	7	53वां	15	2006-07
17.	54वीं	2002-03	8	55वां	6	2008-09
18.	56वीं	2003-04	11	56वां	3	2009-10
19.	58वीं	2005-06	19	57वां	6	2010-11
20.	60वीं	2006-07	24	58वां	5	2011-12
21.	61वीं	2007-08	8	59वां	10	2012-13
22.	62वीं	2007-08	16	60वां	6	2013-14
23.	63वीं	2008-09	17	61वां	10	2014-15
24.	64वीं	2009-10	8	62वां	13	2015-16
25.	65वीं	2010-11	13	63वां	15	2016-17
26.	67वीं	2011-12	18	64वां	18	2017-18
27.	68वीं	2012-13	19	65वां	7	2018-19
28.	70वीं	2013-14	21	66वां	9	2019-20
29.	71वीं	2014-15	11	67वां	18	2020-21
30.	72वीं	2015-16	43	68वां	20	2021-22
31.	73वीं	2016-17	60	**कुल**	**232**	
32.	74वीं	2016-17	39			
33.	75वीं	2017-18	39			
34.	77वीं	2017-18	34			
35.	79वीं	2018-19	42			
36.	80वीं	2019-20	34			
37.	81वीं	2020-21	54			
38.	82वीं	2021-22	72			
		कुल	**673**			

परिशिष्ट 7

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.3 (ii); पृष्ठ 42)

पिनेकल टावर में निर्मित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल और कीमत

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	मंजिल	मंजिल का क्षेत्रफल (वर्ग फुट)	दर प्रति वर्ग फुट*	मंजिल की कुल कीमत
1	बेसमेंट	40,342.47	5,000	20,17,12,350
2	भू-तल पहला स्टिल्ट	30,247.76	6,500	19,66,10,440
3	दूसरे से तीसरा स्टिल्ट	63,985.42	6,500	41,59,05,230
4	पहली मंजिल से नौवीं मंजिल तक	17,0693.10	4,700	80,22,57,570
5	10वीं मंजिल से 11वीं मंजिल तक	35,664.02	4,200	14,97,88,884
6	12वीं मंजिल	11,366.65	4,200	4,77,39,930
7	टेरेस फ्लोर	2,521.93	4,200	1,05,92,106
	कुल	**3,54,821.35**		**1,82,46,06,510**

* वर्ष 2020-21 के लिए बड़खल तहसील हेतु उपायुक्त दरों की दर पर।

परिशिष्ट 8

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.3 (iii); पृष्ठ 42)

नगर निगम, फरीदाबाद के अभिलेख पर हस्तांतरण विलेख का विवरण

क्र.सं.	परिसर संख्या/फ्लैट नंबर	विलेख दिनांक
1	202/दूसरी	25 अप्रैल 2018
2	405/चौथी	25 अप्रैल 2018
3	/पांचवीं	23 अक्तूबर 2017
4	503/पांचवीं	21 दिसंबर 2020
5	901/नौवीं	15 नवंबर 2017
6	903/नौवीं	06 अक्तूबर 2017
7	904/नौवीं	15 नवंबर 2017
8	905/नौवीं	06 अक्तूबर 2017
9	906/नौवीं	15 नवंबर 2017
10	--	29 जून 2018

परिशिष्ट 9
(संदर्भ: अनुच्छेद 4.3 (v); पृष्ठ 43-44)

मैसर्ज गोदावरी शिल्प कला केंद्र प्राइवेट लिमिटेड की भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति के अंतर्गत पिनेकल टॉवर में निष्पादित हस्तांतरण विलेख की सूची

क्र. सं.	सब-रजिस्ट्रार कार्यालय का नाम	स्थान और पता	शॉप नंबर और मंजिल	बिक्री विलेख की तिथि	बिक्री विलेख नंबर	क्रेता का नाम	प्रकार	विलेख की प्रतिफल राशि (₹ में)	उपायुक्त दर प्रति वर्ग फुट	क्षेत्र	कुल (₹ में)	टिप्पणी
1	सब-रजिस्ट्रार फरीदाबाद	पिनेकल बिजनेस टावर शूटिंग रेंज रोड लक्कड़पुर सूरजकुंड	1106/11वीं मंजिल	02 दिसम्बर 2011	13959	वाई.पी. पुंज	व्यावसायिक	4,27,24,484	4,200	5,026.41	2,11,10,922	
2	-सम-	-सम-	806/8वीं मंजिल	18 अक्टूबर 2012	13077	अनिका इंटरनेशनल	व्यावसायिक	4,45,13,887	4,200	5,026.41	2,11,10,922	
3	-सम-	-सम-	203 बी/दूसरी मंजिल	12 दिसम्बर 2012	18442	मैसर्ज अविया प्रेम सॉल्यूशन	व्यावसायिक	88,06,435	5,500	1,601.17	88,06,435	सब-रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित नहीं
4	-सम-	-सम-	203 ए/दूसरी मंजिल	12 दिसम्बर 2012	18439	मंजुला कृष्णन	व्यावसायिक	88,06,435	5,500	1,601.17	88,06,435	सब-रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित नहीं
5	-सम-	-सम-	204/दूसरी मंजिल	12 दिसम्बर 2012	18440	अरूण राणा	व्यावसायिक	1,60,98,340	5,500	3,150.36	1,73,26,980	सब-रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित नहीं
6	-सम-	-सम-	606 ए/छठी मंजिल	20 जून 2014	3293	फिरोज वरुण गांधी	व्यावसायिक	85,17,998	4,200	1,812.34	76,11,828	
7	-सम-	-सम-	606 सी/छठी मंजिल	20 जून 2014	3292	फिरोज वरुण गांधी	व्यावसायिक	85,17,998	4,200	1,812.34	76,11,828	
8	-सम-	-सम-	606 बी/छठी मंजिल	20 जून 2014	3291	फिरोज वरुण गांधी	व्यावसायिक	85,17,998	4,200	1,812.34	76,11,828	
9	-सम-	-सम-	801/8वीं मंजिल	21 अगस्त 2014	6663	मैसर्ज कॉसमॉस हॉस्पिटल	व्यावसायिक	1,07,70,000	4,200	3,590.00	1,50,78,000	
10	-सम-	-सम-	206/दूसरी मंजिल	04 फरवरी 2015	15483	क्वांटम बिल्डइन्फ्रा	व्यावसायिक	1,30,80,000	5,500	2,725.00	1,49,87,500	
11	-सम-	-सम-	802 बी/8वीं मंजिल	08 जनवरी 2016	14607	बी.आर. यादव	व्यावसायिक	88,25,000	4,200	1,765.00	74,13,000	
12	-सम-	-सम-	802 ए/8वीं मंजिल	08 जनवरी 2016	14606	हीरामणि यादव	व्यावसायिक	88,25,000	4,200	1,765.00	74,13,000	
13	-सम-	-सम-	802 बी/8वीं मंजिल	15 जुलाई 2016	4946	बी.आर. यादव	व्यावसायिक	78,25,000	4,200	1,765.00	74,13,000	इस फ्लैट के बिक्री विलेख में संशोधन किया गया है (क्र.सं.11)
14	-सम-	-सम-	802 ए/8वीं मंजिल	15 जुलाई 2016	4945	हीरामणि यादव	व्यावसायिक	78,25,000	4,200	1,765.00	74,13,000	इस फ्लैट के बिक्री विलेख में संशोधन किया गया है (क्र.सं.12)
15	-सम-	-सम-	604बी/छठी मंजिल	12 अगस्त 2016	5801	पी.एच.वाई. इन्फ्रास्ट्रक्चर	व्यावसायिक	85,26,350	4,200	1,705.27	71,62,134	
16	-सम-	-सम-	604 ए/छठी मंजिल	12 अगस्त 2016	5824	पी.एच.वाई. इन्फ्रास्ट्रक्चर	व्यावसायिक	85,26,350	4,200	1,705.27	71,62,134	
17	सब-रजिस्ट्रार बड़खल	-सम-	905/9वीं मंजिल	06 अक्टूबर 2017	2153	पूनम लाल	व्यावसायिक	1,60,49,490	4,200	5,349.83	2,24,69,286	बिक्री अनुबंध 2009 में हुआ लेकिन रजिस्ट्री 2017 में हुई
18	-सम-	-सम-	स्पष्ट नहीं/5वीं मंजिल	23 अक्टूबर 2017	2483	मैसर्ज अंडरग्राउंड मैग्नेटिक्स टाइप लिमिटेड	व्यावसायिक	4,62,14,231	4,200	5,437.74	2,28,38,508	
19	-सम-	-सम-	501/5वीं मंजिल	23 अक्टूबर 2017	2484	मैसर्ज अंडरग्राउंड मैग्नेटिक्स टाइप लिमिटेड	व्यावसायिक	3,10,50,767	4,200	3,653.55	1,53,44,910	
20	-सम-	-सम-	906/9वीं मंजिल	15 नवम्बर 2017	3128	पुरुषोत्तम लाल	व्यावसायिक	1,63,13,220	4,200	5,437.74	2,28,38,508	बिक्री अनुबंध 2009 में हुआ लेकिन रजिस्ट्री 2017 में हुई

क्र. सं.	सब-रजिस्ट्रार कार्यालय का नाम	स्थान और पता	शॉप नंबर और मंजिल	बिक्री विलेख की तिथि	बिक्री विलेख नंबर	क्रेता का नाम	प्रकार	विलेख की प्रतिफल राशि (₹ में)	उपायुक्त दर प्रति वर्ग फुट	क्षेत्र	कुल (₹ में)	टिप्पणी
21	-सम-	-सम-	903/9वीं मंजिल	15 नवम्बर 2017	2154	पूनम लाल	व्यावसायिक	1,03,26,090	4,200	3,442.03	1,44,56,526	बिक्री अनुबंध 2009 में हुआ लेकिन रजिस्ट्री 2017 में हुई
22	-सम-	-सम-	901/9वीं मंजिल	15 नवम्बर 2017	3126	पुरुषोत्तम लाल पूनम लाल	व्यावसायिक	1,09,60,650	4,200	3,653.55	1,53,53,310	बिक्री अनुबंध 2009 में हुआ लेकिन रजिस्ट्री 2017 में हुई
23	-सम-	-सम-	904/9वीं मंजिल	15 नवम्बर 2017	3127	पुरुषोत्तम लाल पूनम लाल	व्यावसायिक	1,02,31,620	4,200	3,410.54	1,43,24,268	बिक्री अनुबंध 2009 में हुआ लेकिन रजिस्ट्री 2017 में हुई
24	-सम-	-सम-		29 जून 2018	2995	कैलाश चंद्र मल्होत्रा	व्यावसायिक	38,48,400		1,282.80		
25	-सम-	-सम-	503/5वीं मंजिल	21 दिसम्बर 2020	3331	सुनील प्रकाश	व्यावसायिक	2,05,00,000	4,200	3,442.03	1,44,56,526	
26	सब-रजिस्ट्रार फरीदाबाद	-सम-	805 ए/8वीं मंजिल	24 अगस्त 2015	8633	विक्रम वेकांत	व्यावसायिक	75,77,750	4,200	1,783.00	74,88,600	
27	-सम-	-सम-	303 बी/तीसरी मंजिल	10 फरवरी 2014	15663	हीरामणि यादव	व्यावसायिक	78,75,000	5,000	1,750.00	87,50,000	
28	-सम-	-सम-	303 ए/तीसरी मंजिल	20 जनवरी 2014	14683	संतोष यादव	व्यावसायिक	78,75,000	5,000	1,750.00	87,50,000	
29	-सम-	-सम-	803/8वीं मंजिल	15 नवम्बर 2013	10416	क्लेयरवोयंट ट्रेड	व्यावसायिक	2,06,52,180	4,200	3,442.03	1,44,56,526	
30	-सम-	-सम-	605 सी/छठी मंजिल	20 जून 2014	3290	वरुण गांधी	व्यावसायिक	83,80,100	4,200	1,783.00	74,88,600	
31	-सम-	-सम-	10 बी/10वीं मंजिल	30 दिसम्बर 2013	13645	सतनाम ओवरसीज	व्यावसायिक	6,98,00,000	4,200	6,980.00	2,93,16,000	
32	-सम-	-सम-	7वीं मंजिल	06 मार्च 2014	16804	एमग्रीन रियल्टर्स	व्यावसायिक	13,55,77,150	4,200	27,115.43	11,38,84,806	
33	-सम-	-सम-	605 ए/छठी मंजिल	20 जून 2014	3288	मैसर्ज फिरोज वरुण गांधी	व्यावसायिक	83,80,100	4,200	1,783.00	74,88,600	
34	-सम-	-सम-	605 बी/छठी मंजिल	20 जून 2014	3289	मैसर्ज फिरोज वरुण गांधी	व्यावसायिक	83,80,100	4,200	1,783.00	74,88,600	
35	-सम-	-सम-	104/पहली मंजिल	05 जनवरी 2016	14446	मैसर्ज हाई स्काई इंफ्रास्ट्रक्चर	व्यावसायिक	1,67,09,000	6,000	3,410.00	2,04,60,000	
36	-सम-	-सम-	106/पहली मंजिल	05 जनवरी 2016	14444	मैसर्ज हाई स्काई इंफ्रास्ट्रक्चर	व्यावसायिक	2,66,41,300	6,000	5,437.00	3,26,22,000	
37	-सम-	-सम-	102/पहली मंजिल	05 जनवरी 2016	14443	मैसर्ज हाई स्काई इंफ्रास्ट्रक्चर	व्यावसायिक	1,71,94,100	6,000	3,509.00	2,10,54,000	
38	-सम-	-सम-	101/पहली मंजिल	05 जनवरी 2016	14445	मैसर्ज हाई स्काई इंफ्रास्ट्रक्चर	व्यावसायिक	1,78,99,700	6,000	3,653.00	2,19,18,000	
39	-सम-	-सम-	103/पहली मंजिल	05 जनवरी 2016	14442	मैसर्ज हाई स्काई इंफ्रास्ट्रक्चर	व्यावसायिक	1,68,65,800	6,000	3,442.00	2,06,52,000	
40	-सम-	-सम-	10 ए/10वीं मंजिल	17 जुलाई 2012	6765	कोहिनूर फूड्स लिमिटेड	व्यावसायिक	15,94,20,000	4,200	15,942.00	6,69,56,400	
कुल								**90,70,47,923**	-	**1,57,300.35**	**30,16,64,262**	
घटा:- 2 तालिका (संशोधित)								**1,76,50,000**	-	-	**1,48,26,000**	
निवल योग								**88,93,97,923**	-	-	**28,68,38,262**	

परिशिष्ट 10

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.3 (vii); पृष्ठ 45)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ-साथ परियोजना क्षेत्र और पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम अधिसूचना में खसरा की तुलना

	खसरा नंबर												
5.5 एकड़ मूल भूमि उपयोग में परिवर्तन क्षेत्र	--	--	26//1	26//2	26//3	--	--	26//8	26//9	26//10/1	--	--	--
3.93 एकड़ आबंटित क्षेत्र	19//21	19//22				26//4/1/2	26//7 (मीन)				26//10/2	--	--
वन अनापत्ति प्रमाण-पत्र	19//21	19//22	26//1	26//2	26//3	26//4/1/2	26//7 (मीन)	26//8	26//9	26//10/1	26//10/2	26//12	26//13
पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम अधिसूचना	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां

नोट:-

1. **5.5 एकड़ मूल भूमि उपयोग में परिवर्तन क्षेत्र पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम अधिसूचना दिनांक 18 अगस्त 1992 के अंतर्गत नहीं आता है।**
2. **3.93 एकड़ आबंटित क्षेत्र जिस पर पिनेकल स्थित है वह पूरी तरह से पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम अधिसूचना दिनांक 18 अगस्त 1992 के अंतर्गत आता है।**
3. **वन अनापत्ति प्रमाण-पत्र 3.93 एकड़ क्षेत्र और दो अन्य खसरा नंबरों अर्थात् 26//12 और 26//13 के संबंध में गलत है।**

© भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

www.cag.gov.in/ag/haryana/hi